[2021] 13 एस. सी. आर. 364

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी. बी. आई.) और अन्य

बनाम

थामन्द्रु हन्नाह विजयलक्ष्मी @टी. एच. विजयलक्ष्मी और अन्य .

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1045)

08 अक्टूबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, विक्रम नाथ और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 - एस. 13 (2) आर/डब्ल्यू. एस. 13 (1) (ई) दंड संहिता, 1860 के दशक। 109 - केंद्रीय जांच ब्यूरो (अपराध)

नियमावली 2005-भारत का संविधान-अनुच्छेद 226-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.482-भ्रष्टाचार के मामले-एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले यदि प्रारंभिक जांच अनिवार्य है-एफ. आई. आर. दर्ज की गई

प्रथम प्रत्यर्थी के विरुद्ध, आधार पर आयकर आयुक्त

आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति कथित रूप से रखने के लिए "स्रोत जानकारी"-दूसरा प्रतिवादी, उसके पति पर अपराध को बढ़ावा देने का आरोप है-उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए प्राथमिकी रद्द कर दी कि अपीलकर्ता को प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करनी चाहिए थी। सी. आर. पी. सी., पी. सी. अधिनियम या यहाँ तक कि सी. बी. आई. नियमावली के तहत प्राथमिकी दर्ज करने से पहले भ्रष्टाचार के मामलों में प्रारंभिक जांच की स्थापना को अनिवार्य नहीं बनाया गया है-यदि सी. बी. आई. द्वारा किसी शिकायत या अध्याय 8 के तहत "स्रोत जानकारी" के माध्यम से प्राप्त जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है, तो वह प्रारंभिक जांच करने के बजाय सीधे नियमित मामला दर्ज कर सकती है-यह किसी उपयुक्त मामले में प्रारंभिक जांच करने के मूल्य से कम नहीं है-उच्च न्यायालय को केवल इस बात पर विचार करना चाहिए था कि क्या प्राथमिकी की सामग्री, जैसा कि वे हैं, प्रथम दृष्टया एक लघु-परीक्षण करने के बजाय एक संज्ञेय अपराध बनाती है-उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेज प्राथमिकी को मूल्य और वजन के रूप में रद्द करने का आधार नहीं बना सकते हैं। एस. 6.

भारत का संविधान-अनुच्छेद 226-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.482-एफ़. आई. आर. को रद्द करना-उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा

-का दायरा-चर्चा की गई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 यदि प्रारंभिक जाँच आवश्यक है, तो यह है

सी. बी. आई. नियमावली के अध्याय 9 के अंतर्गत आता है। पैरा 9.1 से दो अलग-अलग सिद्धांत सामने आते हैं: (i) प्रारंभिक जांच तब दर्ज की जाती है जब सत्यापन के बाद जानकारी (शिकायत या स्रोत जानकारी से प्राप्त) किसी लोक सेवक की ओर से गंभीर कदाचार का संकेत देती है, लेकिन नियमित मामला दर्ज करने को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होती है; और (ii) जब उपलब्ध जानकारी या उसके गुप्त सत्यापन के बाद किसी संज्ञेय व्यक्ति के अपराध का पता चलता है। द.

इस न्यायालय के उदाहरण और सी. बी. आई. नियमावली के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े सभी मामलों में प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है। सी. बी. आई. नियमावली के पैरा 9.1 में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच की आवश्यकता केवल तभी होती है जब जानकारी (चाहे सत्यापित हो या असत्यापित) किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा नहीं करती है। यहां तक कि जब एक प्रारंभिक जांच शुरू की जाती है, तो जैसे ही अधिकारी को यह पता चलता है कि पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई है जो एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है, उसे रोकना पड़ता है। इसलिए, यह प्रस्ताव कि प्रारंभिक जांच अनिवार्य है, स्पष्ट रूप से कानून के विपरीत है, क्योंकि यह केवल आयोग के निर्णय के विपरीत नहीं है।

संविधान पीठ ने ललिता कुमारी को दोषी ठहराया, लेकिन सी. बी. आई. नियमावली द्वारा बनाए गए ढांचे को भी भंग कर दिया। [पारस 27,29] [400-जी-एच; 401-ई-एच]

ललिता कुमारी बनाम। सरकार. यूपी और अन्य (2014) 2 एस. सी. सी.

1 : [2013] 14 इसके बाद एस. सी. आर. 713 आया।

1.2 चूँकि भ्रष्टाचार के मामलों में प्रारंभिक जांच की संस्था को सी. आर. पी. सी., पी. सी. अधिनियम या यहाँ तक कि सी. बी. आई. नियमावली के तहत एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले अनिवार्य नहीं बनाया गया है, इसलिए इस न्यायालय के लिए उस प्रभाव के लिए निर्देश जारी करना विधायी क्षेत्र में कदम रखने के समान होगा। अत:, यदि सी. बी. आई. द्वारा शिकायत के माध्यम से प्राप्त जानकारी या -" स्रोत जानकारी "अध्याय 8 के तहत, एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करता है, यह प्रारंभिक जांच करने के बजाय सीधे एक नियमित मामला दर्ज कर सकता है, जहां अधिकारी [2021] 13 एस. सी. आर. है।

संतुष्ट है कि जानकारी एक के आयोग का खुलासा करती है

अंततः यह गलत साबित होता है। प्रारंभिक जाँच में, सी. बी. आई. को दस्तावेजी रिकॉर्ड तक पहुँचने और व्यक्तियों से बात करने की अनुमति दी जाती है। जिस तरह वे एक जांच में करेंगे, जिसमें कहा गया है कि एकत्र की गई जानकारी का उपयोग जांच के स्तर पर किया जा सकता है

ठीक है। इसलिए, प्रारंभिक जांच करने से अभियुक्त व्यक्तियों पर समय पर मुकदमा चलाने के अंतिम लक्षय से हाथ नहीं हटेगा। हालांकि, यह एक बार फिर स्पष्ट किया जाता है कि अगर सीबीआई

प्रारंभिक जाँच न करने का विकल्प चुनता है, अभियुक्त अधिकार के रूप में इसकी माँग नहीं कर सकता है। [पैरा 32,33] [403-ई-एच; 404-ए-सी]

भारत संघ बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2020) 4 एससीसी

761 : [2019] (12) एस. सी. आर. 1125; तेलंगाना राज्य बनाम।

मानागिपेट (2019) 19 एस. सी. सी. 87; विनोद दुआ बनाम। संघ का

भारत और अन्य 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 414; पी।

सिराजुद्दीन बनाम। मद्रास राज्य (1970) 1 एससीसी 595: [1970]

(3) एस. सी. आर. 931; चरणसिंह बनाम। महाराष्ट्र राज्य

(2021) 5 एस. सी. सी. 469-पर निर्भर।

2.1 उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित पर ध्यान दिया है:

उत्तरदाताओं द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेज़: (i) आयकर विवरणी; (ii) सी. सी. एस. नियमों के तहत अपने विभाग को पहले प्रतिवादी द्वारा खुलासा; (iii) आर. पी. अधिनियम और नियमों के तहत दूसरे प्रतिवादी द्वारा दायर एक हलफनामा; (iv) प्रधान मुख्य आय आयुक्त को पहले प्रतिवादी द्वारा 14 मार्च 2016 को एक पत्र।

उनके घर के निर्माण के विवरण के संबंध में कर (सी. सी. ए.), चेन्नई और इसका प्रमाण 12 जून 2017 के एक कार्यालय ज्ञापन द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया है; और (v) आयकर उपायुक्त से 15 जून 2016 का एक पत्र, हैदराबाद ने पहले से प्राप्त सूचना पर ध्यान दिया

27 फरवरी 2016 को प्राप्त अपनी संपत्ति और मूल्य की बिक्री के संबंध में प्रत्यर्थी और उसके द्वारा किए गए निवेश के संबंध में प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा सूचना। एकल न्यायाधीश की ओर से एक दस्तावेज को, जो सार्वजनिक क्षेत्र में है, उसकी सामग्री की सच्चाई के साथ जोड़ने में एक मौलिक त्रुटि है। [पैरा 37] [409-डी-एच] सीबीआई बनाम।

टी. एच. विजयलक्ष्मी

हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल (1992) सूप 1 एस. सी. सी. 335: [1990] (3) पूरक। एस. सी. आर. 259; निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 325 पर निर्भर थे।

2.2 तेलंगाना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पूरी तरह से तय किए गए मापदंडों से परे काम किया है जो

एफ. आई. आर. को निरस्त करने की शक्ति। एकल न्यायाधीश ने एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की भूमिका निभाई है। एकल न्यायाधीश ने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है कि न्यायालय मुकदमे के चरण में नहीं था या अपील पर विचार नहीं कर रहा था एक मुकदमे में एक फैसले के खिलाफ। एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत सामग्री की जांच की है, इसकी तुलना एफ. आई. आर. और उनके जवाबी हलफनामे में सी. बी. आई. द्वारा प्रदान की गई जानकारी से की है, और फिर उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए प्रत्येक व्यक्तिगत आरोप के गुण-दोष पर फैसला सुनाया है।

उनके द्वारा दाखिल दस्तावेजों पर (उन्हें पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के अर्थ के भीतर 'आय के ज्ञात स्रोत' मानते हुए)। यह प्रयोग इस कारण से उचित ठहराया गया है कि

अपीलार्थी ने प्रारंभिक पूछताछ नहीं की है और इसलिए, उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए उत्तरदाताओं की आपत्तियों को संबोधित नहीं किया है। एकल न्यायाधीश द्वारा एफ. आई. आर. को रद्द करते समय विवाद के गुण-दोष में प्रवेश करने के लिए दिए गए कारण स्पष्ट हैं, विशेष रूप से इस न्यायालय के निष्कर्ष पर विचार करते हुए कि सी. बी. आई. को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए

संविधान का अनुच्छेद 226 एक याचिका पर निर्णय लेने के लिए

एफ. आई. आर. को रद्द करने पर, उच्च न्यायालय को केवल इस बात पर विचार करना चाहिए था कि क्या एफ. आई. आर. की सामग्री-जैसा कि वे खड़े हैं और उनके चेहरे पर-प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध है।

हालांकि, यह स्पष्ट है कि एक सौ सात पृष्ठों (इस अपील में पेपर-बुक के) के फैसले में एकल न्यायाधीश ने एक लघु-परीक्षण किया है, जिसमें बाध्यकारी सिद्धांतों की अनदेखी की गई है जो एक प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका को नियंत्रित करते हैं। एक अदालत एक मिनी का संचालन नहीं कर सकती है

आरोप तय करने के चरण में मुकदमा। इसलिए, धारा के तहत एक प्राथमिकी को रद्द करने के लिए एक याचिका पर विचार करने के चरण में ऐसा करना। 482 सी. आर. पी. सी. या संविधान का अनुच्छेद 226 भी स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। इसलिए, तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा एफ. आई. आर.

को रद्द करने के लिए अपने विवादित फैसले में दिए गए तर्क को अस्वीकार कर दिया जाता है। [पैरा 40,41] [413-ए-ई; 414-बी-सी] [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गुनमाला सेल्स (पी) लिमिटेड बनाम। अनु मेहता (2015) 1 एससीसी

103 : [2014] (10) एस. सी. आर. 1117-पर निर्भर।

3. प्रत्यर्थियों द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, वे प्राथमिकी को रद्द करने का आधार नहीं बन सकते हैं। दस्तावेजों के लिए निर्धारित मूल्य और वजन परीक्षण का विषय है। अपीलार्थी उत्तरदाताओं की आय के "स्रोत" और उनके द्वारा अर्जित संपत्तियों पर सवाल उठाने को चुनौती दे रहा है।

ऐसी आय पर। इसलिए, एक एफ. आई. आर. को रद्द करने के चरण में जहां अदालत को केवल यह पता लगाना है कि क्या एफ. आई. आर. प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध का कारण बनती है, एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर भरोसा करना कानून के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत होगा। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त करने के प्रयास में वस्तुतः मुकदमा चलाकर अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे से बहुत आगे निकल गया है। केदारी लाल और जे. जयललीता के फैसलों के बीच दो कारणों से कोई टकराव नहीं है: (i) जे. जयललीता के फैसले में कहा गया है कि आयकर विवरणी जैसे दस्तावेज अपने आप में यह सुनिश्चित करने के लिए निश्चित प्रमाण नहीं होंगे कि क्या किसी की आय का स्रोत वैध था क्योंकि आयकर विभाग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।

इस बात की जाँच की गई कि हालांकि केदारी लाल के फैसले में तथ्य ऐसे थे कि आय के स्रोत पर कोई सवाल ही नहीं था और इसलिए आयकर रिटर्न पर भरोसा किया गया था

निर्णायक रूप से; और (ii) किसी भी मामले में, केदारी लाल में निर्णय एक आपराधिक अपील को चुनौती देते हुए दिया गया था

पी. सी. अधिनियम के तहत दोषसिद्धि, जबकि वर्तमान मामला एक एफ. आई. आर. को रद्द करने के चरण में है। [पारस 48,49] [421-सी-जी] 4. प्रत्यर्थियों द्वारा इस संबंध में व्यापक तर्क दिए गए थे कि क्या अपीलार्थी मामला भी दर्ज कर सकता है

उत्तरदाताओं के खिलाफ, क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य ने

8 नवंबर 2018 के एक आदेश के माध्यम से डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 6 के तहत अपीलार्थी को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया गया। अपीलार्थी द्वारा इसका प्रतिवाद करते हुए कहा गया है: ((i) कि एफ. आई. आर. चेन्नई में दर्ज की गई है, और डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 6 के तहत तमिलनाडु राज्य की सामान्य सहमति अभी भी बनी हुई है; (ii) कि पहला प्रतिवादी केंद्र

सरकार का कर्मचारी है; और (iii) कि दूसरे प्रतिवादी पर आई. पी. सी. की धारा 109 के तहत उकसाने का आरोप लगाया गया है। इसी तरह, सी. बी. आई. बनाम.

टी. एच. विजयलक्ष्मी

तेलंगाना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा तर्क भी दिए गए हैं और क्या दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ अध्यक्ष (क्योंकि वह एक मौजूदा विधायक हैं) की सहमति के बिना प्राथमिकी दर्ज की जा सकती थी। हालाँकि, इस स्तर पर उन्हें और इन पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं है। मुद्दों को उनके गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना खुला छोड़ दिया जा रहा है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के एफ़. आई. आर. और उसके अनुसरण में किसी भी कार्यवाही को रद्द करने वाले विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलार्थी एफ. आई. आर. के आधार पर अपनी जाँच जारी रख सकता है। [पारस 51,52] [422-ई-एच; 423-ए]

केदारी लाल बनाम। एम. पी. राज्य (2015) 14 एस. सी. सी. 505 -

प्रतिष्ठित।

के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ (1991) 3 एससीसी 655:

[1991] (3) इसके बाद एस. सी. आर. 189 आया।

कर्नाटक राज्य बनाम। जे. जयललीता (2017) 6 एससीसी 263: [2017] (5) एस. सी. आर. 525; भारत संघ और एक अन्य v. डब्ल्यू. एन. चड्ढा (1993) पूरक (4) एस. सी. सी. 260: [1992] (3) पूरक। एस. सी. आर. 594; महाराष्ट्र राज्य बनाम ईश्वर पिराजी कल्पत्री (1996) 1 एस. सी. सी. 542: [1995] (5) पूरक। एस. सी. आर. 812; नरेंद्र जी. गोयल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एससीसी 65: [2009] (8) एस. सी. आर. 1004; समाज परिवारन समुद्र बनाम। कर्नाटक राज्य (2012) 7 एससीसी 407: [2012] (5) एससीआर 1074; शांति देवी आलिया शांति मिश्रा

वी. भारत संघ (2020) 10 एस. सी. सी. 766; नवीनचंद्र एन. मजीठिया बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2000) 7 एससीसी 640: [2000] (3) पूरक। एस. सी. आर. 82; पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (1998) 5 एस. सी. सी. 749: [1997] (5) पूरक। एससीआर 12; कपिल अग्रवाल बनाम। संजय शर्मा (2021) 5 एस. सी. सी. 524; शशांक बनाम। सीबीआई (2007) 1 एससीसी 630: [2006] (8) पूरक। एससीआर 474; विनीत नारायण बनाम। भारत संघ (1998) 1 एस. सी. सी. 226 [1997] (6) पूरक। एस. सी. आर. 595; सी. बी. आई. बनाम अशोक कुमार अग्रवाल (2014) 14 एससीसी 295: [2013] (14) एस. सी. आर. 983; झारखंड राज्य बनाम। लालू प्रसाद यादव (2017) 8 एससीसी 1: [2017] (3) एस. सी. आर. 630; निर्मल सिंह काहलों बनाम। पंजाब राज्य (2009) 1 एससीसी 441:

[2008] (14) एस. सी. आर. 1049; यशवंत सिन्हा बनाम। सीबीआई (2020) 2 एससीसी 338: [2019] (17) एससीआर 917; पी. वी. नरसिम्हा राव [2021] 13 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वी. राज्य (सी. बी. आई/एस. पी. ई.) (1998) 4 एस. सी. सी. 626: [1998] (2) एस. सी. आर. 870; केरल राज्य बनाम के. अजीत और अन्य आपराधिक

देवीदासानी बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2014) 16 एससीसी 1: [2014] (14) एससीआर 1468; एम. पी. बनाम राज्य मोहनलाल सोनी (2000) 6 एस. सी. सी. 338; सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2018) 6 एस. सी. सी. 454: [2018] एस. सी. आर. 4 877; उड़ीसा राज्य बनाम देवेंद्र नाथ पाधी (2005) 1 एस. सी. सी. 568: [2004] (6) पूरक। एस. सी. आर. 460; भारत पारिख बनाम। सीबीआई (2008) 10 एससीसी 109: [2008] (10) एससीआर 950; इंदु जैन बनाम। एम. पी. राज्य (2008) 15 एस. सी. सी. 341: [2008] (14) एस. सी. आर. 1137; एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी (पी) लिमिटेड v. सीबीआई (2018) 16 एससीसी 299: [2018] (2) एस. सी. आर. 1045-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2013] (14) एससीआर 713

पैरा 9 (iii)

पीछा किया।

(2019) 19 एससीसी 87

पैरा 9 (iii)

उस पर भरोसा करें

[1991] (3) एससीआर 189

पैरा 9 (vi)

पीछा किया।

संदर्भित किया गया है

पैरा 9 (vi)

[1992] (3) पूरक। एससीआर 594

संदर्भित किया गया है

[1995] (5) पूरक। एससीआर 812

पैरा 9 (vi)

[2009] (8) एससीआर 1004

पैरा 9 (vi)

संदर्भित किया गया है

[2012] (5) एससीआर 1074

पैरा 9 (vi)

संदर्भित किया गया है

[2017] (5) एससीआर 525

पैरा 9 (ix)

संदर्भित किया गया है

(2020) 10 एस. सी. सी. 766

पैरा 10 (i)

संदर्भित किया गया है

सीबीआई बनाम। टी. एच. विजयलक्ष्मी

[2000] (3) पूरक। एससीआर 82

पैरा 10 (i)

संदर्भित किया गया है

[1997] (5) पूरक। एससीआर 12

पैरा 10 (i)

संदर्भित किया गया है

(2021) 5 एस. सी. सी. 524

पैरा 10 (i)

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 10 (ii)

[1997] (6) पूरक। एससीआर 595

संदर्भित किया गया है

पैरा 10 (ii)

[2006] (8) पूरक। एससीआर 474

[2013] (14) एससीआर 983

पैरा 10 (ii)

संदर्भित किया गया है

[2017] (3) एससीआर 630

पैरा 10 (ii)

संदर्भित किया गया है

[2008] (14) एससीआर 1049

पैरा 10 (iii)

संदर्भित किया गया है

[2019] (17) एससीआर 917

पैरा 10 (iv)

संदर्भित किया गया है

(2021) 5 एस. सी. सी. 469

पैरा 10 (iv)

उस पर भरोसा करें

[1970] (3) एससीआर 931

पैरा 10 (iv)

उस पर भरोसा करें

[1998] (2) एससीआर 870

पैरा 10 (viii)

संदर्भित किया गया है

पैरा 10 (बी)

[2010] (2) एससीआर 979

संदर्भित किया गया है

पैरा 10 (सी)

[2012] (7) एससीआर 33

संदर्भित किया गया है

पैरा 10 (सी)

(iv)

[2008] (4) एससीआर 1154

संदर्भित किया गया है

[1996] (3) पूरक। एस. सी. आर. 127 को संदर्भित किया गया

पैरा 10 (सी)

(iv)

[1994] (3) एससीआर 201

पैरा 10 (सी)

(iv)

संदर्भित किया गया है

[2011] (2) एससीआर 670

पैरा 10 (x)

संदर्भित किया गया है

[2019] (1) एससीआर 236

पैरा 10 (x)

संदर्भित किया गया है

पैरा 10 (x)

[2014] (14) एससीआर 1468

संदर्भित किया गया है

(2015) 14 एससीसी 505

प्रतिष्ठित

पैरा 10 (x)

(2000) 6 एस. सी. सी. 338

पैरा 10 (x)

संदर्भित किया गया है

पैरा 10 (xi)

[1990] (3) पूरक। एस. सी. आर. 259 पर निर्भर

[2019] (12) एससीआर 1125

उस पर भरोसा करें

पैरा 30

[2018] 4 एससीआर 877

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

[2014] (10) एससीआर 1117

उस पर भरोसा करें

पैरा 41

[2004] (6) पूरक। एस. सी. आर. 460 संदर्भित

पैरा 41

[2008] (10) एससीआर 950

पैरा 41

संदर्भित किया गया है

[2008] (14) एससीआर 1137

संदर्भित किया गया है

पैरा 41

[2018] (2) एससीआर 1045

संदर्भित किया गया है

पैरा 41

[2021] 13 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

2021 का No.1045।

हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 11.02.2020 से लिखित याचिका No.8552

2018 .

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., अदित खुराना, प्रशांत सिंह, शांतनु शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, धनंजय महापात्रा, अधिवक्ता। के लिए

सिद्धार्थ दवे, सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. सनातनम स्वामीनाथन, सुश्री अभिलाषा श्रवण, सुश्री प्रकृति गोलेचा, श्रीमती. आरती राजन, हिरेंद्रनाथ, राहुल शर्मा, साकेत कासिभातला, ए. कार्तिक, एड. उत्तरदाताओं के लिए।

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे. इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए अनुभागों में विभाजित किया गया है।

वे इस प्रकार हैं:

अपील

ए.

तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक इतिहास

बी.

वकीलों की दलीलें

सी.

डी.

क्या इससे पहले प्रारंभिक जाँच अनिवार्य है

एफ. आई. आर. दर्ज करना

D. 1 इस न्यायालय की पूर्वधारणाएँ

डी. 2 सी. बी. आई. नियमावली

डी. 3 विश्लेषण

क्या एफ़. आई. आर. रद्द की जानी चाहिए

ई.

ई. 1

दायरा

उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा

ई. 2 क्या वर्तमान में एफ़. आई. आर. को रद्द किया जा सकता है।

मामला

एफ निष्कर्ष सी. बी. आई. बनाम

टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

ए द अपील

1. अपील तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 11 फरवरी 2020 के एक फैसले से उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा: (i) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रतिवादियों द्वारा दायर एक रिट याचिका भारत सरकार को अनुमति दी गई थी; और (ii) प्रत्यर्थियों के खिलाफ दर्ज 20 सितंबर 2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट 2 को खारिज कर दिया गया था, साथ ही प्राथमिकी के अनुसार की गई कार्यवाही को भी दरकिनार कर दिया गया था।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 19885 की धारा 13 (1) (ई) के साथ पठित धारा 13 (2) और भारतीय दंड संहिता 18606 की धारा 109 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज किया गया है। आरोप कब्जे का है 2, 692 रुपये की असमानुपाती परिसंपत्तियाँ, जो 1 अप्रैल 2010 से 29 फरवरी 2016 के बीच चेक अवधि के दौरान अर्जित आय का 1 प्रतिशत थी।

3. एफ. आई. आर. को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि: (i) उत्तरदाताओं की आय के बारे में जानकारी का पता पीसी अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के तहत उनके 'आय के ज्ञात स्रोतों' से लगाया जा सकता है, जैसे कि उनके आयकर रिटर्न, उनके विभाग को प्रस्तुत की गई जानकारी। केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 19647 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 19518 और नियमों के तहत दायर हलफनामे के तहत

इसके तहत; (ii) इन स्रोतों से जानकारी की सत्यता का मुकाबला करने के लिए, अपीलार्थी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, को केंद्रीय जांच ब्यूरो (अपराध) के तहत प्रारंभिक जांच करनी चाहिए थी।

3 " विधायक " 4 एफ. आई. आर. नं. आर. सी. एम. ए. आई. 2017 ए 0021 5 "पी. सी. एक्ट"

6 " आई. पी. सी "

7 " सीसीएस नियम "8" आरपी अधिनियम "

9 " सीबीआई

"[2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले नियमावली 2005 1 0; और (iii) आय के इन ज्ञात स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, एफ. आई. आर. में उत्तरदाताओं के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया प्रतीत होते हैं।

अस्थिर। इन कार्यवाहियों में उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण पर सवाल उठाया गया है।

बी तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक इतिहास

4. 1992 से, पहला प्रतिवादी भारतीय राजस्व सेवा का सिविल सेवक है, और आयकर आयुक्त के रूप में काम कर रहा था।

(लेखा परीक्षा-II), तमिलनाडु और पांडिचेरी जब उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वे वर्तमान में आयकर आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं।

(लेखा परीक्षा) हैदराबाद में। दूसरा प्रत्यर्थी पहले प्रत्यर्थी का जीवनसाथी है, और 2009 तक भारतीय रेलवे लेखा सेवा में कार्यरत एक लोक सेवक भी था। एफ. आई. आर. दर्ज किए जाने के समय, वह आंध्र प्रदेश राज्य के विधायक थे और अभी भी हैं और आंध्र प्रदेश राज्य के शिक्षा मंत्री के पद पर हैं। वे समितियों के सदस्य भी थे।

आश्वासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण और सार्वजनिक खाते।

5. 20 सितंबर 2017 को चेन्नई में सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा 1 2 12 द्वारा प्रतिवादियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफ़. आई. आर. में लिखा है

कि "चेक अवधि" 1 अप्रैल 2010 और 29 फरवरी 2016 के बीच थी। एफ़. आई. आर. दर्ज करती है कि यह उसी तारीख को सी. बी. आई. ए. सी. बी. चेन्नई द्वारा लगभग शाम 4 बजे प्राप्त "स्रोत जानकारी" के आधार पर दर्ज की गई थी। एफ. आई. आर. में चार सारणीबद्ध बयान हैं। विवरण ए में कहा गया है कि चेक अवधि (1 अप्रैल 2010) की शुरुआत में उत्तरदाताओं की संपत्ति 1,35,26,066 रुपये की राशि में थी, जबकि विवरण-बी इंगित करता है कि चेक अवधि (29 फरवरी 2016) के अंत में उनकी संपत्ति 6,90,51,066 रुपये थी। इसलिए, चेक अवधि (यानी 1 अप्रैल 2010 से 29 फरवरी 2016 के बीच) के दौरान अर्जित उनकी संपत्ति कथित तौर पर <ID1,000 रुपये थी। स्टेटमेंट सी के अनुसार, चेक अवधि के दौरान उत्तरदाताओं की आय 4,84,76,630 रुपये थी, जबकि स्टेटमेंट-डी के अनुसार चेक अवधि के दौरान उनका खर्च 40,33,322 रुपये था। इसलिए, प्रत्यर्थियों पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने आय के विरुद्ध 322 रुपये (परिसंपत्तियों को जोड़कर, 1,000 रुपये और व्यय, 2 रुपये) की सीमा तक संपत्ति/आर्थिक लाभ अर्जित किया है।

10 " सीबीआई नियमावली "11" आईआरएस "

12 ** " ए. सी. बी. "सी. बी. आई. बनाम।

टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

चेक अवधि के दौरान अर्जित 630 रुपये 4,84,76 में से। इसलिए, चेक अवधि के दौरान उनकी आनुपातिक परिसंपत्तियों की गणना 1,10,81,692 रुपये की गई, जो उनके द्वारा अर्जित कुल आय का 22.86 प्रतिशत है। एफ. आई. आर. में परिलक्षित गणना इस प्रकार है:

" आनुपातिक परिसंपत्तियों की गणना:

$ 1 .

परिसंपत्तियों का विवरण

राशि

(रु.)

नहीं।

चेक की शुरुआत में परिसंपत्तियाँ। 13,526,066

ए.

अवधि

चेक अवधि के अंत में परिसंपत्तियाँ

बी.

69,051,066

सी.

चेक अवधि के दौरान परिसंपत्तियाँ (बी-ए)

55,525,000

चेक अवधि के दौरान आय

48,476,630

डी.

चेक अवधि के दौरान व्यय

ई.

4,033,322

परिसंपत्तियाँ + व्यय-आय (डीए)

11,081,692

एफ.

डीए प्रतिशत

22.86 %

99

20 सितंबर 2017 की प्राथमिकी के आधार पर, सीबीआई ए. सी. बी.

चेन्नई ने पीसी अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) और आईपीसी की धारा 109 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

6. 5 मार्च 2018 को, उत्तरदाताओं ने पहले एक रिट याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में आग्रह किया गया कि प्राथमिकी को रद्द किया जा सकता है। अपनी दलीलों का समर्थन करने के लिए, प्रत्यर्थियों ने अपने आयकर रिटर्न, सी. सी. एस. नियमों के तहत पहले प्रत्यर्थी द्वारा 2010 से 2017 के बीच की अवधि के लिए की गई अचल संपत्ति की घोषणाओं, आर. पी. अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा दायर हलफनामे को संलग्न किया। 13 चेक अवधि के दौरान परिसंपत्तियों और व्यय को जोड़कर और उससे आय को घटाकर गणना की जाती है।

2014 में और सी. सी. एस. नियमों के तहत उनके घर के निर्माण की लागत/मूल्य को समझाते हुए पत्र।

7. जवाब में, अपीलार्थी ने एक जवाबी-हलफनामा दायर किया -

तेलंगाना उच्च न्यायालय जहाँ यह कहा गया था, अन्य बातों के साथ, कि: ((i) एफ. आई. आर. दर्ज होने के दो साल बाद रिट याचिका देर से दायर की गई थी; (ii) किसी भी मामले में, रिट याचिका मद्रास के समक्ष दायर की जानी चाहिए थी। उच्च न्यायालय चूंकि सी. बी. आई. मामलों के लिए प्रधान विशेष न्यायाधीश की अदालत, (आठवीं अतिरिक्त सिटी सिविल कोर्ट), चेन्नई के पास मामले पर अधिकार क्षेत्र था और प्रतिवादियों को इसके बारे में पता था, और एफ. आई. आर. भी सी. बी. आई. ए. सी. बी. द्वारा चेन्नई में दर्ज की गई थी; (iii) स्रोत जानकारी के आधार पर एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी, और मामला अभी भी सी. बी. आई. मामलों के लिए प्रधान विशेष न्यायाधीश की अदालत (आठवीं अतिरिक्त सिटी सिविल कोर्ट), चेन्नई के अधीन था।

जाँच; (iv) उत्तरदाताओं को जाँच के दौरान अपने मामले को समझाने का मौका दिया जाएगा, और एफ़. आई. आर. दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जाँच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी; और (v) उत्तरदाताओं की आय और संपत्ति का उनके द्वारा संलग्न दस्तावेजों से निर्णायक रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि जाँच के दौरान उनकी सत्यता का निर्धारण किया जाना है। इसलिए, अपीलकर्ताओं ने आग्रह किया कि प्राथमिकी को रद्द नहीं किया जा सकता है।

8. जैसा कि इस फैसले में पहले उल्लेख किया गया है, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने

11 फरवरी 2020 के अपने विवादित फैसले द्वारा प्रतिवादियों की रिट याचिका की अनुमति दी और प्राथमिकी को रद्द कर दिया, और इसके अनुसार शुरू की गई सभी कार्यवाही को दरकिनार कर दिया। अपीलार्थी सी. बी. आई. ने अब उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय का रुख किया है।

सी वकील की प्रस्तुतियाँ 9.

तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार करते हुए सुश्री

सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने निम्नलिखित दलीलों का आग्रह किया है:

तेलंगाना उच्च न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र नहीं था -

((i)

उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करें क्योंकि:

एफ. आई. आर. सी. बी. आई. ए. सी. बी. द्वारा दर्ज की गई थी

ए।

चेन्नई; और

इसे प्रधान विशेष न्यायाधीश को प्रस्तुत किया गया था

बी।

सी. बी. आई. मामलों के लिए, (आठवां अतिरिक्त सिटी सिविल कोर्ट), चेन्नई। इसलिए, केवल मद्रास उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था।

15 " ए. एस. जी. "सी. बी. आई. बनाम

टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

प्रारंभिक जाँच तभी की जाती है जब नियमित पंजीकरण के लिए प्राप्त जानकारी पर्याप्त नहीं है।

मामला. हालाँकि, जब उपलब्ध जानकारी एक नियमित मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त होती है क्योंकि यह आयोग का खुलासा करती है

संज्ञेय अपराध के लिए, किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है। यह तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। प्रत्येक मामले की, और कथित भ्रष्टाचार के सभी मामलों के लिए प्रारंभिक जांच को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। यह

इस प्रस्ताव को ललिता कुमारी बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों में समर्थन मिलता है। सरकार. उत्तर प्रदेश और अन्य 1 6 ("ललिता कुमारी") और तेलंगाना राज्य बनाम। मानागिपेट 1 7

(" मानागिपेट ");

एक अन्य व्यक्ति की जांच के दौरान एकत्र की गई विश्वसनीय स्रोत जानकारी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामला 18 1 8 जिसमें पहला प्रतिवादी अभियुक्तों में से एक था। उस मामले की जाँच के दौरान सी. बी. आई. ने

प्रथम प्रतिवादी से संबंधित चार स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसके दौरान दस्तावेज जब्त किए गए और उससे पूछताछ भी की गई। ऐसी जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर वर्तमान मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसलिए, प्रारंभिक जांच की कोई आवश्यकता नहीं थी।

प्रारंभिक पूछताछ करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है।

क्योंकि उत्तरदाताओं को जाँच के दौरान अपनी परिसंपत्तियों के प्रत्येक अधिग्रहण, और जाँच अवधि के दौरान उनकी आय और व्यय के बारे में समझाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसलिए, प्राथमिकी दर्ज करने से पहले (प्रारंभिक जांच के माध्यम से) यह अवसर प्रदान करना आवश्यक नहीं था क्योंकि इसमें जोखिम होता।

अभियुक्त द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ या नष्ट करना।

व्यक्तियों;

C1, पैरा 31-35,37-39,83-86,89-92,93-96,101-105,106-107,111 और 120 सीसी 87, पैरा 33-34

16 ए 0019-सीबी1/ए. सी. बी./चेन्नई [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(vi) जाँच अधिकारी का यह कर्तव्य नहीं है कि वह अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले उनकी संपत्ति के संबंध में उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगे क्योंकि ऐसा करने से कार्यवाही आगे बढ़ेगी। किसी भी मामले में, ऐसा अवसर अभियुक्त व्यक्तियों के लिए मुकदमे के चरण में उपलब्ध है।

यह सिद्धांत के. वीरास्वामी बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों से उभरता है। भारत संघ 1 9 ("के. वीरस्वामी"), भारत संघ और एक अन्य v. डब्ल्यू. एन. चड्ढा 20, महाराष्ट्र राज्य बनाम। ईश्वर पिराजी कल्पत्री 2 1, नरेंद्र जी. गोयल बनाम। महाराष्ट्र राज्य 2 और समाज परिवारन समुद्र बनाम। कर्नाटक राज्य 2,3;

(vii) दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 109 के तहत एक सहायक के रूप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

प्रथम प्रत्यर्थी के साथ उसके जीवनसाथी के रूप में प्रत्ययी संबंध। इस प्रकार, दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले अध्यक्ष की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचित पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 194625 की धारा 6 के तहत तमिलनाडु 24 राज्य द्वारा सी. बी. आई. को एक सामान्य सहमति दी गई है। पहला प्रतिवादी केंद्र सरकार का एक अधिकारी होता है, जो आई. आर. एस. में सेवारत होता है।

(viii) एफ. आई. आर. को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते समय, उच्च न्यायालय को एफ. आई. आर. की सामग्री पर विचार करना होगा और क्या इसमें लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया अपराध हैं। यह एक तय किया गया सिद्धांत है, जिसे इस अदालत ने हाल ही में निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट में दोहराया है। लिमिटेड वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य 26 ("नीहारिका अवसंरचना")। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने अपनी शक्तियों के दायरे से परे जाकर एक लघु कार्य किया है

9 * (1991) 3 एससीसी 655, पैरा 75

o (1993) पूरक (4) एस. सी. सी. 260, पैरा 90-98

1 (1996) 1 एस. सी. सी. 542, पैरा 16-17

(2009) 6 एस. सी. सी. 65, पैरा 11-16

3 (2012) 7 एस. सी. सी. 407, पैरा 49-50 और 60

4 अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 1992

5 " डीएसपीई अधिनियम "

2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 325, पैरा 36-37,46,50-51,57 और 80 (xii-xviii)

सीबीआई बनाम। टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

द्वारा प्रस्तुत साक्षय पर विचार करते हुए मुकदमा

उत्तरदाताओं, प्राथमिकी को रद्द करने के लिए;

कर्नाटक राज्य बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। जे. जयललीता 2 7 (जे. जयललीता) इस सिद्धांत को दोहराती हैं;

उच्च न्यायालय ने अपनी आय, व्यय और परिसंपत्तियों के मूल्य की गणना करते समय केवल प्रत्यर्थियों द्वारा दायर दस्तावेजों पर भरोसा किया है ताकि यह माना जा सके कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। असमान परिसंपत्तियाँ। हालांकि, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि सीबीआई द्वारा गणना क्यों की गई

एफ. आई. आर. दर्ज करने के परिणामस्वरूप और इसकी बाद की जांच के दौरान पक्ष में अनदेखी की जानी चाहिए

उत्तरदाताओं के दस्तावेज़; और

उच्च न्यायालय के विवादित फैसले पर इस न्यायालय द्वारा दी गई रोक के अनुसार, वर्तमान कार्यवाही में नोटिस जारी करते हुए, जांच फिर से शुरू हो गई है और

जाँच की गई, और 7500 दस्तावेज़ प्राप्त किए गए हैं, और यह कहा गया है कि जाँच पूरी हो जाएगी दो से तीन महीने की अवधि के भीतर।

प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा और श्री सिद्धार्थ दवे ने प्रस्तुतियों का विरोध किया और

तेलंगाना उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था क्योंकि:

उत्तरदाताओं की कोई संपत्ति राज्य में स्थित नहीं है।

ए।

तमिलनाडु की, जबकि कई संपत्तियाँ हैं

यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता

दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्राथमिकी को रद्द करते समय संविधान का उदारता से प्रयोग किया जाना चाहिए

कानून की प्रक्रिया। इसका समर्थन शांति देवी आलिया शांति मिश्रा बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों में मिलता है। भारत संघ 28, नवीनचंद्र एन. मजीठिया बनाम। महाराष्ट्र राज्य 29, पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 0 और कपिल अग्रवाल बनाम। संजय शर्मा 3 1; और किसी भी मामले में, सी. बी. आई. ने इसके अधिकार क्षेत्र में स्वीकार किया

बी।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर 2019 के अपने प्रारंभिक आदेश को चुनौती नहीं दी

उत्तरदाताओं की रिट याचिका;

((ii) विनीत नारायण बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए। भारत संघ 3 2 ("विनीत नारायण"), सी. बी. आई. नियमावली के प्रावधानों का सी. बी. आई. द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसे शशीकांत बनाम में दोहराया गया है। सी. बी. आई. 33 ("शशीकांत"),

सीबीआई बनाम। अशोक कुमार अग्रवाल 3 4 (अशोक कुमार)

अग्रवाल ") और झारखंड राज्य बनाम। लालू प्रसाद

यादव 3 5 35;

(111) सी. बी. आई. नियमावली के पैरा 9.1 के अनुसार, प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री एकत्र करने के लिए एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए।

शशीकांत में इस न्यायालय के निर्णयों में जोर दिया गया (उपर्युक्त) और निर्मल सिंह काहलों बनाम। पंजाब राज्य 3,6 ("निर्मल सिंह काहलों");

((iv)

एफ़. आई. आर. दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जाँच

आय से अधिक परिसंपत्तियों सहित लोक सेवकों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों में एक आवश्यक आवश्यकता, क्योंकि अनुचित जल्दबाजी से तुच्छ और असमर्थनीय शिकायतों का पंजीकरण होगा जो प्रभावित कर सकते हैं

8 -8 (2020) 10 एससीसी 766, पैरा 33

9 (2000) 7 एस. सी. सी. 640, पैरा 16-18 और 22 0 (1998) 5 एस. सी. सी. 749, पैरा 29

1 (2021) 5 एस. सी. सी. 524, पैरा 18-18.2

2 (1998) 1 एस. सी. सी. 226, पैरा 58 (12)

3 3 (2007) 1 एस. सी. सी. 630, पैरा 9,11,19 और 25 4 (2014) 14 एस. सी. सी. 295, पैरा 22-24

5 (2017) 8 एस. सी. सी. 1, पैरा 67-696 (2009) 1 एससीसी 441 सी. बी. आई. बनाम

टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इन अधिकारियों का कार्यकाल। यशवंत सिन्हा बनाम में इस न्यायालय के निर्णय। सी. बी. आई. 3 7 ("यशवंत सिन्हा"), चरणसिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य 3 8 38

(" चरणसिंह), पी. सिराजुद्दीन बनाम। मद्रास राज्य 39 ("पी. सिराजुद्दीन"), निर्मल सिंह काहलों (ऊपर) 40 और ललिता कुमारी (ऊपर) 41 इस सूत्रीकरण का समर्थन करते हैं;

एफ़. आई. आर. में कहा गया है कि यह सी. बी. आई. ए. सी. बी. चेन्नई द्वारा शाम 4 बजे प्राप्त स्रोत जानकारी के आधार पर दर्ज किया गया था। 20 सितंबर 2017, जिसके बाद एफ. आई. आर. दर्ज की गई और शाम 5 बजे सी. बी. आई. मामलों के लिए प्रधान विशेष न्यायाधीश, (आठवीं अतिरिक्त सिटी सिविल कोर्ट), चेन्नई को भेजी गई और शाम 6.25 बजे तक वहां प्राप्त की गई। इसलिए, यह स्पष्ट है कि कोई सत्यापन या प्रारंभिक पूछताछ नहीं की गई थी।

एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले किया गया;

चूंकि उनकी आय/व्यय/संपत्ति की व्याख्या करने का उनका अधिकार छीन लिया गया है और उनके खिलाफ सीधे प्राथमिकी दर्ज की गई है। सी. बी. आई. नियमावली के अनुसार, केवल सी. बी. आई. के निदेशक के पास ही सी. बी. आई. नियमावली के अनुलग्नक 6 ए के संदर्भ में मामला दर्ज करने या प्रारंभिक जांच के लिए आदेश पारित करने की शक्ति है, न कि इसके किसी नामित अधिकारी के पास। सी. बी. आई. नियमावली के पैरा 14.39 के तहत, आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच पूरी की जानी चाहिए।

18 महीनों, जबकि यह वर्तमान मामले में दो साल से अधिक समय से चल रहा है; दूसरे प्रतिवादी के संबंध में, सी. बी. आई. के पास शिकायत की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि:

जबकि दूसरा प्रतिवादी लोक सेवक हो सकता है।

ए।

पीसी अधिनियम के तहत, उसके अभियोजन के लिए सहमति

केवल अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जा सकता है न कि

सी 338, पैरा 114-115 और 117 सी 469, पैरा 10-15 सी 595, पैरा 17 सी 441, पैरा 30,117,120.5 और 120.6 (डी)

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केंद्र सरकार। इस प्रस्ताव का समर्थन करें।

पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों से उत्पन्न होता है। राज्य (सी. बी. आई./एस. पी. ई.) 42 और केरल राज्य बनाम के. अजीत और अन्य 4 3;

राज्य में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार भी

बी।

पश्चिम बंगाल बनाम। लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समिति 44, सी. बी. आई. केवल इस न्यायालय/उच्च न्यायालय के निर्देश पर या अध्यक्ष के आदेश पर किसी विधायक या सांसद के खिलाफ पी. सी. अधिनियम के तहत शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है।

डी. एस. पी. ई. अधिनियम के तहत सी. बी. आई. के पास कोई अधिकार नहीं हैः

सी।

आई.

केंद्र द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

सरकार के खिलाफ अपराधों को निर्दिष्ट करना

सी. बी. आई. द्वारा जाँच किए जाने वाले विधायक (डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 3);

केंद्र द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

ii.

सरकार शक्तियों का विस्तार करती है और

धारा 3 (डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 5) के तहत निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में तेलंगाना राज्य में सी. बी. आई. की अधिकारिता;

राज्य सरकार की सहमति नहीं है

iii.

तेलंगाना राज्य में सी. बी. आई. द्वारा शक्तियों के प्रयोग के लिए प्राप्त किया गया (धारा 6)

डी. एस. पी. ई. अधिनियम); और

इसके समर्थन में, इस पर निर्भरता रखी गई है

iv.

मायवती बनाम में इस न्यायालय के निर्णय। भारत संघ 45, एम. बालकृष्ण रेड्डी बनाम। सी. बी. आई. 46, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम। राज्य

राजस्थान 47 और काजी लेंडुप दोरजी बनाम। सीबीआई 48.

2 2 (1998) 4 एस. सी. सी. 626, पैरा 98-993 आपराधिक अपील संख्या 2021 की 698, पैरा 24,33,36-39 और 61-64

4 (2010) 3 एससीसी 571, पैरा 68

5 (2012) 8 एस. सी. सी. 106, पैरा 29-306 (2008) 4 एससीसी 409, पैरा 19

(1996) 9 एससीसी 735, पैरा 26

* 1994 सपं. (2) एस. सी. सी. 116, पैरा 13 सी. बी. आई. बनाम।

टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(ix)

एफ. आई. आर. को भी रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि:

यह अलग के संबंध में अंतर नहीं करता है

ए।

दो उत्तरदाताओं और क्लबों की भूमिका

उनके खिलाफ, जो उनके स्वतंत्र अधिकार को दूषित करता है

रक्षा से। इसके अलावा, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

चेन्नई में दूसरा प्रत्यर्थी भले ही वह

वहाँ कभी कोई सार्वजनिक पद नहीं रखा है और न ही कोई कारण है वहाँ कार्रवाई उत्पन्न होती है; और

शिकायत पूरी तरह से झूठी है क्योंकि

बी।

उत्तरदाताओं के पास कोई असमान संपत्ति नहीं है

चेक अवधि में लेकिन इसकी अधिकता है

आय। इसका समर्थन करने के लिए, निम्नलिखित चार्ट बनाया गया है

काउंटर के साथ दायर किया गया-पहले का हलफनामा

उत्तरदाता:

संशोधित डीए (में)

वास्तविक

वर्णन

राशि के रूप में

प्रति एफ. आई. आर. (में)

राशि (में)

रु.)

रु.)

रु.)

1,10,81,692

ए 1/ए 2 असमानुपाती परिसंपत्तियाँ •

जाँच अवधि 01.04.2010

—

29.02.2016

1,10,81,69

2 -

कथन बी SL.NO. 6 और 7

5,15,50,000

4,29,71,800

सी. बी. आई. ने निर्माण को महत्व दिया है।

85,78,20

0

एसटीएम-बी की एस 1.6-7 संपत्ति की लागत

रु. 5,15,50,000/- [रु.

=

25,03,492

के रूप में

2,59,50,000 + आर. एस. 2,56,00,000] .

एस. टी. एम. बी. एस. एल. 6-7 के अनुसार भी

मूल्य दिनांकित रिपोर्ट से लिया गया है

11.03.2016 अल द्वारा उसे प्रस्तुत किया गया

दिनांकित पत्र के माध्यम से विभाग

14.03.2016 . का कुल मूल्य

उक्त रिपोर्ट के अनुसार निर्माण

रु. 4,14,21,800/है।

[रु. 4,14,21,800 + Rs.15,50,000 =

रु. 4,29,71,800]

[रु. 5,15,50,000-रु. 4,29,71,800

== Rs.85,78,200]

- 8,00,000

25,03,492

-

8,00,000

एसटीएम। बी एस. एल.-26

रुपये की दोहरी प्रविष्टि।

8,00,00

0

बैंगलोर की संपत्ति, के दौरान बेची गई

जाँच अवधि (सी. बी. आई. द्वारा स्वीकृत) है

=

17,03,492

अंत में संपत्ति के रूप में गलत तरीके से दिखाया गया

चेक अवधि अर्थात एस. टी. एम. सी. एस. 1-9 में।

17,03,492

-

- 10,00,000

एसटीएम। बी एस. एल.-31

10,00,000

री में दोहरी प्रविष्टि। खरीदने के लिए

10,00,00

0

और एक ऑस्कन एस्केलेटर का निर्माण जुबली प्रोप में। पहले से ही हिस्सा

=

7,03,492

समग्र मूल्यांकन/निर्माण लागत एसटीएम-बी एसएल के लिए। 6 & 7)

[2021] 13

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7

,03,492 -

4 . एसटीएम। सी एस एल-9

72,50,000

1,00,00,000

पुनः में मनमाना कटौती

7,50,000

बैंगलोर की संपत्ति (क्रम संख्या 26 देखें)

एसटीएम से। बी) स्वीकार्य रूप से बेचा गया था

= -

20,46,508

1 करोड़ की बिक्री पर विचार, लेकिन केवल रु. 72. 5 लाख को बिक्री के रूप में दिखाया गया है।

एसटीएम में कीमत। सी.

[रु. 1,00,00,000 -Rs.72,50,000 =

Rs.27,50,0001

परिसंपत्ति है

-

20,46,508

इस प्रकार,

नहीं।

आय से असमानता:

(x)

उच्च न्यायालय ने न केवल दस्तावेजों पर भरोसा किया है

सी. बी. आई. द्वारा अपनी जाँच के माध्यम से पता चला। दस्तावेज़ प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत (आयकर विवरणी, आदि)

पीसी अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के तहत 'सेवक' है उनकी तुलना में संचित अनुपातहीन परिसंपत्तियाँ

वैध आय। इसलिए, उच्च न्यायालय हो सकता है असमानुपाती परिसंपत्तियों के मामले का वैध मूल्यांकन

ऐसे दस्तावेजों पर भरोसा करके उत्तरदाताओं के खिलाफ। में।

इस प्रस्ताव के समर्थन में, निर्णयों पर निर्भरता रखी जाती है इस न्यायालय के हर्षेंद्र कुमार डी. वी. रीबेटिलाटा

रविंदर देवीदासानी बनाम। महाराष्ट्र राज्य 5 1, केदारी लाल वी. M.P.52 ("केदारी लाल") और एम. पी. राज्य।

वी. मोहनलाल सोनी 5 3; और दिशानिर्देशों के संदर्भ में एफ. आई. आर. को रद्द किया जाना चाहिए था।

(xi)

इस न्यायालय के अनुच्छेद 102 (1,3,5,6 और 7) में उल्लिखित

हरियाणा राज्य और अन्य में निर्णय बनाम भजन लाल 54

(" भजन लाल ")।

11. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ अब हमारे विचार के लिए आती हैं। आधारित

प्रस्तुतियों पर, इस न्यायालय को दो प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए कहा जाता है: ((i) क्या सी. बी. आई. को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता है

49 (2011) 3 एस. सी. सी. 351, पैरा 25-26

50 (2019) 14 एससीसी 318, पैरा 12

51 (2014) 16 एससीसी 1, पैरा 15,17,23,27-28 और 30 52 (2015) 14 एससीसी 505, पैरा 10,12 और 15-16 53 (2000) 6 एस. सी. सी. 338, पैरा 4,6 और 11

54 (1992) उप 1 एस. सी. सी. 335 सी. बी. आई. बनाम।

टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

लोक सेवकों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के दावों से जुड़े प्रत्येक मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले; और (ii) पहले प्रश्न से स्वतंत्र, क्या प्राथमिकी को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का निर्णय हो सकता है

वर्तमान मामले में।

डी. क्या इससे पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य है

एफ. आई. आर. दर्ज करना

D. 1 इस न्यायालय की पूर्वधारणाएँ

12. इस मुद्दे के हमारे विश्लेषण के साथ आगे बढ़ने से पहले, यह महत्वपूर्ण है

यह समझने के लिए कि इस न्यायालय के पिछले निर्णयों में इस मुद्दे पर क्या कहा गया है कि क्या सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से लोक सेवकों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामलों में।

13. इनमें से पहला पी में दो न्यायाधीशों की पीठ का फैसला है।

सिराजुद्दीन (ऊपर), जिसमें यह देखा गया था कि किसी लोक सेवक पर गंभीर दुराचार के रूप में बेईमानी के कृत्यों का आरोप लगाने से पहले, इसे रोकने के लिए कुछ उपयुक्त प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए।

उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को अकथनीय नुकसान। न्यायमूर्ति जी के मित्तर ने अभिनिर्धारित किया कि:

गंभीर दुराचार या कथित प्रकार का दुराचार इस मामले में और उसके खिलाफ पहली सूचना दर्ज की जाती है,

एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा आरोप। इस तरह की रिपोर्ट दर्ज करना एक व्यक्ति के खिलाफ, विशेष रूप से वह जो अपीलार्थी को पसंद करता है

किसी विभाग में शीर्ष पद, भले ही आधारहीन हो, काम करेगा।

न केवल विशेष रूप से अधिकारी को बल्कि व्यक्ति को भी अकथनीय नुकसान वह सामान्य रूप से उस विभाग से संबंधित था।

(जोर दिया गया)

14. उपरोक्त निर्णय के बाद दो अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया

निर्मल सिंह काहलों (ऊपर) मामले में, जहां यह देखा गया था कि सी. बी. आई. नियमावली के अनुसार, सी. बी. आई. को केवल प्रारंभिक जांच के पूरा होने पर ही प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए माना जा सकता है। न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 30. सी. बी. आई. द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करना एक

मैनुअल। यह प्रारंभिक जांच कर सकता है; इसे [2021] 13 एस. सी. आर. दिया गया है।

सी. बी. आई. नियमावली के अध्याय VI में कहा गया अधिकार। प्रथम दृष्टया मामला एक के पूरा होने पर ही स्थापित किया जा सकता है

प्रारंभिक जाँच "।

15. कानून की सबसे आधिकारिक घोषणा से निकलती है

ललिता कुमारी (ऊपर) में एक संविधान पीठ का निर्णय। अदालत के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या एक पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराध करने से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) दर्ज करने के लिए बाध्य है या पुलिस अधिकारी के पास ऐसी जानकारी की सत्यता का परीक्षण करने के लिए 'प्रारंभिक जांच' करने की शक्ति है। उसी को पंजीकृत करने से पहले "। पीठ की ओर से इस सवाल का जवाब देते हुए, मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता 197355 की धारा 154 के तहत, एक पुलिस अधिकारी को प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता नहीं है और जब प्राप्त जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है तो उसे प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। विशेष रूप से सी. बी. आई. नियमावली के प्रावधानों के संदर्भ में निर्णय में कहा गया है:

" 89. इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने विशेष पर भरोसा किया

सी. बी. आई. नियमावली के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं को पढ़ा जाना चाहिए।

धारा 154। यह सच है कि "प्रारंभिक" की अवधारणा

जाँच "अपराध नियमावली के अध्याय IX में निहित है

विधायिका द्वारा अधिनियमित नहीं किया गया। यह एक समूह है के आंतरिक मार्गदर्शन के लिए जारी किए गए प्रशासनिक आदेश

सीबीआई अधिकारी। यह कोड का स्थान नहीं ले सकता है। इसके अलावा,

संहिता में इसके विपरीत किसी भी संकेत की अनुपस्थिति

प्रारंभिक धारण की अवधारणा को आयात करने के लिए निर्भर था दंड प्रक्रिया संहिता की योजना में जांच।

इस समय यह प्रस्तुत करना भी उचित है कि सी. बी. आई. का गठन किया गया है

दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान नामक एक विशेष अधिनियम के तहत

अधिनियम, 1946 और यह इस अधिनियम से जाँच करने की अपनी शक्ति प्राप्त करता है।

(जोर दिया गया)

हालाँकि, न्यायालय इसके संभावित दुरुपयोग से भी अवगत था

आपराधिक कानून के तहत शक्तियां जिसके परिणामस्वरूप तुच्छ एफ. आई. आर. एस. का पंजीकरण होता है। इसलिए, इसने सामान्य नियम के लिए "अपवाद" तैयार किए कि एक एफ. आई. आर.

55 " सी. आर. पी. सी. "सी. बी. आई. बनाम.

टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

संज्ञेय अपराध की चूक का खुलासा करने वाली जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत पंजीकृत किया जाए। संविधान पीठ ने कहाः

" 115. हालाँकि, हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि धारा 154 संहिता रसीद पर एफ. आई. आर. के अनिवार्य पंजीकरण को अभिनिर्धारित करती है

सभी संज्ञेय अपराधों में, फिर भी, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहाँ

उत्पत्ति में परिवर्तन के कारण प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती है।

और समय के साथ अपराधों की नवीनता।

[.....]

117. भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के संदर्भ में, यह पी. सिराजुद्दीन में न्यायालय [पी. सिराजुद्दीन बनाम। मद्रास राज्य,

(1970) 1 एससीसी 595: 1970 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 240] ने कहा

उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है।

लोक सेवक।

[.....]

119. इसलिए, विभिन्न प्रतिवादों को ध्यान में रखते हुए

पंजीकरण या गैर-पंजीकरण, केवल यही आवश्यक है कि पुलिस को दी गई जानकारी का खुलासा करना चाहिए

एफ. आई. आर. दर्ज करना अनिवार्य है। हालांकि, अगर नहीं दी गई जानकारी में संज्ञेय अपराध बताया गया है,

तब तुरंत एफ़. आई. आर. दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है और शायद पुलिस एक तरह की प्रारंभिक कार्रवाई कर सकती है।

पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए सत्यापन या जांच

कि क्या कोई संज्ञेय अपराध किया गया है।

लेकिन, अगर दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है

संज्ञेय अपराध करना, कोई अन्य विकल्प नहीं है लेकिन तुरंत एक एफ. आई. आर. दर्ज करना। अन्य विचार नहीं हैं

एफ. आई. आर. दर्ज करने के चरण में प्रासंगिक, जैसे कि क्या

जानकारी गलत तरीके से दी गई है, क्या जानकारी वास्तविक है,

क्या जानकारी विश्वसनीय है, आदि। ये हैं मुद्दे

एफ. आई. आर. की जाँच के दौरान सत्यापित किया जाना चाहिए। जिसमे

एफ. आई. आर. दर्ज करने का चरण, जो देखा जाना है वह केवल यह है कि क्या

दी गई जानकारी एक आयोग का खुलासा करती है संज्ञेय अपराध। यदि जाँच के बाद दी गई जानकारी

झूठा पाया गया, मुकदमा चलाने का हमेशा एक विकल्प होता है

झूठी एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता "।

(जोर दिया गया)

निर्णय निम्नलिखित निष्कर्ष प्रदान करता है:

" 120. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं:

120.1 . धारा 154 के तहत एफ. आई. आर. दर्ज करना अनिवार्य है।

संहिता, यदि जानकारी एक संज्ञेय आयोग का खुलासा करती है

अपराध और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है।

120.2 . यदि प्राप्त जानकारी एक का खुलासा नहीं करती है

संज्ञेय अपराध लेकिन एक जांच की आवश्यकता को इंगित करता है, प्रारंभिक जाँच केवल यह पता लगाने के लिए की जा सकती है कि

क्या संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया है या नहीं।

[...]

120.5 . प्रारंभिक जाँच का दायरा सत्यापित करना नहीं है

प्राप्त जानकारी की सच्चाई या अन्यथा लेकिन केवल

यह पता लगाने के लिए कि क्या जानकारी किसी संज्ञेय का खुलासा करती है

अपराध।

120.6 . किस प्रकार और किन मामलों में प्रारंभिक

[.....] ((घ) भ्रष्टाचार के मामले

[.....]

उपरोक्त केवल दृष्टांत हैं और सभी का संपूर्ण विवरण नहीं हैं। ऐसी शर्तें जो प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती हैं।

(जोर दिया गया)

संविधान पीठ ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया कि एक प्रारंभिक जांच है

अनिवार्य नहीं है जब प्राप्त जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है। यहां तक कि जब यह आयोजित किया जाता है, तो प्रारंभिक जांच का दायरा जानकारी की सत्यता का पता लगाने के लिए नहीं है, बल्कि केवल यह है कि क्या यह एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करता है। प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए, "भ्रष्टाचार के मामले" उन मामलों की श्रेणी में आते हैं जहां प्रारंभिक जांच की जा सकती है। "बनाया जा सकता है" अभिव्यक्ति का उपयोग इस बात पर जोर देने के लिए किया जाता है कि प्रारंभिक जांच करना अनिवार्य नहीं है। सी. बी. आई. नियमावली, संविधान सी. बी. आई. बनाम।

टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पीठ ने कहा कि: ((i) यह विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून नहीं है और (ii) यह आंतरिक मार्गदर्शन के लिए प्रशासनिक आदेशों का एक संग्रह है।

सीबीआई। 16. ललिता कुमारी (ऊपर) मामले के फैसले का विश्लेषण इस अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यशवंत सिन्हा (ऊपर) मामले में किया था।

अदालत ने अपीलार्थी-मुखबिर द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने से राहत देने से इनकार कर दिया। अपनी सहमति वाली राय में, न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ ने वर्णन किया कि एक सार्वजनिक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की राहत देने में एक बाधा ललिता कुमारी (उपरोक्त) मामले में इस अदालत की टिप्पणियां होंगी, जिसमें कहा गया है कि ऐसा करने से पहले प्रारंभिक पूछताछ वांछनीय हो सकती है। न्यायमूर्ति जोसेफ ने टिप्पणी की:

" 108. [ललिता कुमारी का] अनुच्छेद <आई. डी. 1] उन मामलों के प्रकार से संबंधित है जिनमें प्रारंभिक जांच की जा सकती है। भ्रष्टाचार के मामले उन मामलों की श्रेणियों में से एक हैं जहां प्रारंभिक जांच हो सकती है। संचालित किया जाता है।

[...]

110. ललिता कुमारी के पैरा 117 में [ललिता कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 2 एस. सी. सी. 1: (2014) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 524], इस न्यायालय ने पी. सिराजुद्दीन बनाम में निर्णय का उल्लेख किया। मद्रास राज्य [पी. सिराजुद्दीन बनाम।

मद्रास राज्य (1970) 1 एस. सी. सी. 595: 1970 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 240] और यह विचार रखा कि भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के संदर्भ में

उक्त निर्णय में, न्यायालय ने एक आवश्यकता व्यक्त की है लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले प्रारंभिक जांच।

[.....]

112. ललिता कुमारी [ललिता कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 2 एस. सी. सी. 1: (2014) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 524], उन विवादों में से एक है जो

प्रारंभिक जाँच आवश्यक है। इस संबंध में, ध्यान दें अदालत को सी. बी. आई. अपराध नियमावली की ओर खींचा गया।

[...]

114. ललिता कुमारी में संविधान पीठ [ललिता]

कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 2 एस. सी. सी. 1: (2014) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 524], के पास इससे पहले सी. बी. आई. अपराध नियमावली थी। यह भी।

पी. सिराजुद्दीन में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार किया गया। सिराजुद्दीन बनाम। मद्रास राज्य (1970) 1 एस. सी. सी. 595:

1970 एससीसी

[2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(सी. आर. आई.) 240] जिसने प्रारंभिक की आवश्यकता की घोषणा की

भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों की जांच। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना उचित नहीं हो सकता है

एफ. आई. आर. दर्ज करने और जाँच में राहत की मांग

उसी तरह से। यही कारण है कि एक अपवाद जहाँ एफ. आई. आर. का तत्काल पंजीकरण नहीं हो सकता है।

सहारा लिया जाएगा, जनता पर उंगली उठाने वाला मामला होगा

आंकड़ा और भ्रष्टाचार के आरोप लगाना। यह न्यायालय देरी होने पर प्रारंभिक जांच की भी अनुमति दी गई है

उदाहरण के लिए, आपराधिक अभियोजन शुरू करने में, तीन महीने से अधिक।

एक प्रारंभिक जांच, जिसे पैरा 120.7 में देखा जाना है, होना चाहिए

सात दिनों के भीतर पूरा हो गया।

(जोर दिया गया)

17. मनागीपेट (ऊपर) में दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय

इसके बाद यह उल्लेख किया गया है कि ललिता कुमारी (उपरोक्त) मामले में निर्णय में कहा गया है कि कथित भ्रष्टाचार के मामलों में प्रारंभिक जांच वांछनीय है, लेकिन यह आरोपी को प्रारंभिक जांच की मांग करने का अधिकार नहीं देता है। प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, और इसे अनिवार्य आवश्यकता नहीं कहा जा सकता है जिसके

बिना भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने इस प्रकार कहा:

" 28. ललिता कुमारी [ललिता कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2014)

2 एससीसी 1: (2014) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 524], न्यायालय ने रखा है जिन मामलों में प्रारंभिक जांच की आवश्यकता होती है,

इसके बजाय, कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग से बचने के लिए

अभियुक्त के पक्ष में कोई भी अधिकार निहित करने की तुलना में। इसमें,

यह तर्क दिया गया कि यदि किसी पुलिस अधिकारी को इसके बारे में संदेह है

एक आरोप की सच्चाई, उसे प्रारंभिक जांच करनी होती है

और यह कि कुछ उपयुक्त मामलों में, इस तरह के लिए उचित होगा अधिकारी, एक संज्ञेय अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर,

स्वयं को संतुष्ट करें कि प्रथम दृष्टया, उनके खिलाफ लगाए गए आरोप

शिकायत में आरोपी विश्वसनीय हैं।

29. अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है

संज्ञेय अपराध करना और कोई प्रारंभिक जांच नहीं ऐसी स्थिति में अनुमति है।

सीबीआई बनाम। टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

30. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित नहीं किया है कि सभी मामलों में प्रारंभिक जांच आवश्यक है। वैवाहिक विवादों/पारिवारिक विवादों, वाणिज्यिक अपराधों, चिकित्सा लापरवाही के मामलों से संबंधित प्रारंभिक जांच की जा सकती है।

भ्रष्टाचार के मामले आदि। ललिता में इस न्यायालय का निर्णय कुमारी [ललिता कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 2 एस. सी. सी. 1: (2014) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 524] में यह नहीं कहा गया है कि प्रारंभिक जांच किए बिना किसी आरोपी के खिलाफ कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

[.....]

32 ..... एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच का दायरा और दायरा प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। कोई निर्धारित प्रारूप या तरीका नहीं है जिसमें प्रारंभिक जांच की जानी है। इसका उद्देश्य

वही केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि एक तुच्छ और असमर्थनीय पर एक आपराधिक जांच प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती है।

शिकायत करें। यही परीक्षा ललिता कुमारी [ललिता कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 2 एस. सी. सी. 1: (2014) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 524]

33. वर्तमान मामले में, एफ़. आई. आर. से ही पता चलता है कि

एकत्र किया गया धन अभियुक्त अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति के संबंध में है। प्रारंभिक जाँच का उद्देश्य निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए पूरी तरह से तुच्छ और प्रेरित शिकायतों की जाँच करना है। इसमें, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाले प्रथम दृष्टया आरोपों के संबंध में सूचना देने वाले के पास प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध थी। इसलिए, एक बार जब प्राथमिकी दर्ज करने वाला अधिकारी इस तरह के प्रकटीकरण से संतुष्ट हो जाता है, तो वह बिना कोई जांच किए या किसी अन्य द्वारा भी आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ सकता है। उसके द्वारा प्राप्त विश्वसनीय जानकारी के आधार पर। यह नहीं कहा जा सकता है कि एफ. आई. आर. को रद्द किया जा सकता है।

इसका कारण यह है कि प्रारंभिक जांच नहीं की गई थी। ऐसा तभी किया जा सकता है जब एफ. आई. आर. की संपूर्णता को पढ़ने पर, किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है। इस संबंध में हरियाणा राज्य बनाम में इस न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ दिया गया है। भजन लाल [हरियाणा राज्य बनाम। भजन लाल, 1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 335: 1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 426] जिसमें, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, [2021] 13 एस. सी. आर. नहीं करते हैं।

प्रथम दृष्टया किसी भी अपराध का गठन करता है या उसके खिलाफ मामला बनाता है

प्रतिशोध लेने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया अभियुक्त और निजी और व्यक्तिगत कारणों से उसका विरोध करने की दृष्टि से

गुस्सा करते हैं।

34. इसलिए, हम मानते हैं कि प्रारंभिक जांच

ललिता कुमारी [ललिता कुमारी बनाम। यू. पी. राज्य, (2014) 2 एससीसी 1: (2014) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 524] की आवश्यकता नहीं है

भ्रष्टाचार के सभी मामलों में अनिवार्य रूप से कार्रवाई की जाए। इसमें है। इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में दोहराया गया है कि

की जाने वाली प्रारंभिक जांच का प्रकार इस पर निर्भर करेगा -

प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ। कोई तय नहीं है

जिन मापदंडों पर ऐसी जांच को कहा जा सकता है

संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली जानकारी एफ. आई. आर. दर्ज करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि पर्याप्त है।

(जोर दिया गया)

18. चरणसिंह (ऊपर) में, दो न्यायाधीशों की पीठ का सामना किया गया था

प्रारंभिक जांच की प्रकृति में "खुली जांच" में किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई जानकारी इकबालिया नहीं होगी और इसलिए, व्यक्ति उस आधार पर ऐसी जांच में उपस्थित होने से इनकार नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति एम आर शाह ने हममें से एक (न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़) की दो न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए कहा:

" 11. हालाँकि, क्या जनता के खिलाफ शिकायत के मामले में

नौकर अपनी आय से अधिक संपत्ति जमा करने के संबंध में

आय के ज्ञात स्रोत, जिन्हें अपराध कहा जा सकता है

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (ई) के तहत,

पूर्व-एफ़. आई. आर. स्तर पर जाँच की अनुमति है या नहीं और/या यह है

वांछनीय है या नहीं, यदि किसी निर्णय की आवश्यकता है, तो वही शासित होता है

इस न्यायालय के निर्णय द्वारा ललिता कुमारी [ललिता कुमारी बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 2 एस. सी. सी. 1: (2014) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 524]

11.1 . बड़े सवाल पर विचार करते हुए, क्या पुलिस कर्तव्य है

एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए बाध्य और/या यह पंजीकरण के लिए अनिवार्य है संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली जानकारी प्राप्त होने पर एफ. आई. आर. और सी. बी. आई. v.

टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अपराध और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है और यही सामान्य नियम है और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, इस न्यायालय ने कुछ ऐसी स्थितियों/मामलों को तैयार किया है जिनमें प्रारंभिक जांच को प्राथमिकी दर्ज करने से पहले अनुमेय/वांछनीय माना जाता है। यह भी देखा गया है कि यदि प्राप्त जानकारी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, लेकिन जांच की आवश्यकता का संकेत देती है, तो यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच की जा सकती है कि क्या संज्ञेय अपराध संज्ञेय अपराध है। प्रकट किया या नहीं। यह देखा गया है कि किस प्रकार और किन मामलों में प्रारंभिक जांच की जानी है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

[.....]

14. भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के संदर्भ में, ललिता कुमारी में पैरा 117 [ललिता कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 2 एस. सी. सी. 1: (2014) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 524], इस न्यायालय ने पी. सिराजुद्दीन बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर भी ध्यान दिया। मद्रास राज्य [पी. सिराजुद्दीन बनाम। मद्रास राज्य (1970) 1 एस. सी. सी. 595: 1970 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 240] जिस मामले में इस न्यायालय ने लोक सेवकों के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता व्यक्त की थी।

[.....]

15.1 . इस प्रकार, पूर्व-एफ. आई. आर. चरण में जांच को अनुमेय और न केवल अनुमेय बल्कि वांछनीय माना जाता है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां आरोप कदाचार के हैं।

आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक परिसंपत्तियों/संपत्तियों का अधिग्रहण करने की भ्रष्ट प्रथा। इसके बाद एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले पूछताछ/प्रारंभिक जांच, [2021] 13 एस. सी. आर.

यदि, ऐसी जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर, यह पाया जाता है कि शिकायत परेशान करने वाली है और/या शिकायत में कोई सार नहीं है, तो प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी। हालाँकि, यदि सामग्री प्रथम दृष्टया एक आयोग का खुलासा करती है

अपराध का आरोप लगाया गया है, प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी और आगे आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार जांच की जाएगी। इसलिए, ऐसी प्रारंभिक जांच

केवल यह पता लगाने के लिए अनुमति होगी कि संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया है या नहीं और उसके बाद ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसलिए, इस तरह की प्रारंभिक जांच कथित आरोपी के हित में होगी, जिसके खिलाफ शिकायत की गई है।

15.2 . यहां तक कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सी. बी. आई. बनाम में अभिनिर्धारित किया गया है। तपन कुमार सिंह [सी. बी. आई बनाम. तपन कुमार सिंह (2003) 6 एस. सी. सी. 175: 2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1305], सूचना देने वाले द्वारा जानकारी दर्ज करने वाली एक जी. डी. प्रविष्टि

जाँच, यदि यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जाँच की जाती है कि किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया है या नहीं, तो कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। एफ. आई. आर. दर्ज करने के स्तर पर भी, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या दी गई जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है और इस तरह दर्ज की गई जानकारी को पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध के होने का संदेह करने के लिए एक आधार प्रदान करना चाहिए। इस स्तर पर, यह पर्याप्त है यदि पुलिस अधिकारी को दी गई जानकारी के आधार पर संदेह है एक संज्ञेय अपराध करना, और यह नहीं कि उसे आश्वस्त या संतुष्ट होना चाहिए कि एक संज्ञेय अपराध किया गया है। इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में निर्धारित कानून के प्रस्ताव के बावजूद कि दायर करने के चरण में

प्रथम सूचना रिपोर्ट, पुलिस अधिकारी को संतुष्ट या आश्वस्त होने की आवश्यकता नहीं है कि एक संज्ञेय अपराध किया गया है, इसके द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए

पी. सिराजुद्दीन में न्यायालय [पी. सिराजुद्दीन बनाम। मद्रास राज्य, (1970) 1 एससीसी 595: 1970 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 240] और सी. बी. आई. बनाम पर विचार करना।

टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

ललिता कुमारी [ललिता] में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ

कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 2 एस. सी. सी. 1: (2014) 1 एससीसी

या प्रक्रिया का पालन करने के बाद आयोजित किया जाता है महाराष्ट्र राज्य भ्रष्टाचार और निषेध

इंटेलिजेंस ब्यूरो मैनुअल, यह नहीं कहा जा सकता है कि एक ही

अवैध है और/या पुलिस अधिकारी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

कोई अधिकार क्षेत्र और/या प्राधिकरण और/या शक्ति नहीं है

एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले इस तरह की जांच करें।

(जोर दिया गया)

19. इसलिए, ये सभी निर्णय अनिवार्य नहीं करते हैं कि एक प्रारंभिक

अनुपातहीन परिसंपत्तियों के मामले में। उस संदर्भ में, निर्णय में कहा गया है कि जहां प्रथम दृष्टया आरोपों के संबंध में प्रासंगिक जानकारी है एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हुए, प्राथमिकी दर्ज करने वाला अधिकारी प्रारंभिक जांच किए बिना जानकारी के आधार पर आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ सकता है।

20. इस निष्कर्ष का समर्थन दूसरे के फैसले से भी होता है।

के. वीरास्वामी (ऊपर) में संविधान पीठ। निर्णय में था पुराने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा 5 (1) (ई) के संदर्भ में,

जो पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के समान है। यह तर्क दिया गया था कि: ((i) लोक सेवक को कथित मामले की व्याख्या करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

एक जाँच अधिकारी के समक्ष असमानुपाती परिसंपत्तियाँ; (ii) आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी द्वारा इसे शामिल और समझाया जाना चाहिए; और (iii) ऐसा करने में विफलता आरोप पत्र को अमान्य कर देगी। इस निवेदन को खारिज करते हुए, संविधान पीठ ने कहा कि ऐसा करने से जांच अधिकारी को एक जांच अधिकारी या न्यायाधीश की भूमिका में पदोन्नत किया जाएगा और उनकी भूमिका केवल यह पता लगाने के लिए सामग्री एकत्र करने तक सीमित होगी कि क्या कथित अपराध लोक सेवक द्वारा किया गया है। अपने और न्याय के लिए उनकी राय में

वेंकटचलैया, न्यायमूर्ति के जगन्नाथ शेट्टी ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

"जिसके लिए वह संतोषजनक रूप से जवाबदेह नहीं हो सकता" अभिव्यक्ति पर अधिनियम की धारा 5 (1) के खंड (ई) में उपयोग किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि [2021] 13 एस. सी. आर.

कार्यकाल का अर्थ है कि लोक सेवक एक अवसर का हकदार है जाँच अधिकारी के सामने कथित को समझाने के लिए

परिसंपत्तियों और ज्ञात स्रोतों के बीच अनुपातहीनता

स्पष्टीकरण और उसके द्वारा दायर आरोप-पत्र में ऐसा होना चाहिए - औसत। यह उल्लेख करने में विफलता कि आवश्यकता दूषित हो जाएगी

आरोप पत्र और इसे अमान्य बनाता है। यह प्रस्तुति, यदि हम

ऐसा कह सकते हैं, जांचकर्ता की शक्तियों की पूरी तरह से अनदेखी करता है

अधिकारी। जाँच अधिकारी को केवल संग्रह करने की आवश्यकता होती है।

यह पता लगाने के लिए सामग्री कि क्या कथित अपराध प्रतीत होता है

प्रतिबद्ध किया गया। जाँच के दौरान, वह जाँच कर सकता है

अभियुक्त। वह अपना स्पष्टीकरण मांग सकता है और यदि आवश्यक हो तो वह आय के ज्ञात स्रोतों के बारे में उससे पूछताछ कर सकते हैं।

और उसके पास मौजूद संपत्ति। वास्तव में, निष्पक्ष जाँच की आवश्यकता है जैसा कि विद्वान महान्यायवादी श्री ए. डी. गिरि ने ठीक ही कहा है कि

अभियुक्त को अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए। उसे ले जाना चाहिए। विश्वास में यदि वह सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन यह कहना कि

सभी सामग्री के संग्रह के बाद जांच अधिकारी को

अभियुक्त को एक मौका दें और उसे बुलाएँ कि

ज्ञात स्रोतों पर परिसंपत्तियों की अधिकता के लिए लेखा

संतोषजनक हो या न हो, जांच को उन्नत करना होगा जाँच अधिकारी या न्यायाधीश के पद पर अधिकारी। द.

जाँच अधिकारी के खिलाफ जाँच नहीं कर रहा है

लोक सेवक का आचरण या विवादित का निर्धारण परिसंपत्तियों के बीच अनुपातहीनता के बारे में मुद्दे

और अभियुक्त की आय। वह सिर्फ सामग्री इकट्ठा करता है।

सभी पक्षों से और एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे वह फाइल करता है

आरोप पत्र के रूप में न्यायालय "।

(जोर दिया गया)

इसलिए, क्योंकि एक अभियुक्त लोक सेवक को कोई अधिकार नहीं है

कथित अनुपातहीन परिसंपत्तियों की व्याख्या करने का अवसर दिया जाए आरोप पत्र दाखिल करने से पहले जांच अधिकारी को प्रारंभिक जांच को अनिवार्य बनाकर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले आरोपी को ऐसा ही अधिकार नहीं दिया जा सकता है।

21. इस न्यायालय के उदाहरणों पर फिर से विचार करने के बाद, अब यह आवश्यक है

सी. बी. आई. नियमावली के प्रावधानों पर विचार करना।

सीबीआई बनाम। टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

डी. 2 सी. बी. आई. नियमावली

22. विनीत नारायण (उपरोक्त) मामले में दिए गए फैसले में इस अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सी. बी. आई. नियमावली के प्रावधानों कोसी. बी. आई. के अधिकारियों द्वारा इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और उनसे भटकने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश जे. एस. वर्मा ने कहाः

" 58. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हम निम्नलिखित निर्देश देते हैं: I. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) और केंद्रीय सतर्कता

यह आवश्यक है कि सी. बी. आई. इन प्रावधानों का ईमानदारी से पालन करे। छापेमारी, जब्ती और गिरफ्तारी जैसे अपने जांच कार्यों के संबंध में नियमावली। स्थापित प्रक्रिया से किसी भी विचलन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

23. शशीकांत (ऊपर) मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ के बाद के फैसले में यह कहा गया था कि सीबीआई को दोष नहीं दिया जा सकता है।

सी. बी. आई. नियमावली के अनुसार प्रारंभिक जांच। न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा ने कहाः

" 9 ..... यह भी विवादित नहीं है कि सी. बी. आई. नियमावली केंद्र सरकार द्वारा लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों के तरीके और तरीके के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करने के लिए बनाई गई थी।

उनसे निपटा जाना चाहिए। [.....]

11. सी. बी. आई. नियमावली में प्रारंभिक जाँच का प्रावधान है। इसके कारण प्रारंभिक जांच के बीच अंतर किया गया है। और एक नियमित मामला। सी. बी. आई. नियमावली के पैरा 9.1 के संदर्भ में प्रारंभिक जांच को जल्द से जल्द एक नियमित मामले में परिवर्तित किया जा सकता है।

यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो जाती है कि प्रथम दृष्टया

एक संज्ञेय अपराध हुआ है।

[.....]

[2021] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. जब कोई अनाम शिकायत प्राप्त होती है, तो नहीं

जाँच अधिकारी जाँच प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके तुरंत बाद। यह अच्छे कारणों से हो सकता है

सत्य या अन्यथा का पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच

आरोप उसमें निहित थे।

[.....]

25 ..... सी. बी. आई. नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया और

कुछ लोक सेवकों की ओर से भ्रष्टाचार, नियमावली के प्रावधानों का सहारा लेने के लिए नहीं कहा जा सकता है

अनुचित बनो। "

(जोर दिया गया)

24. अशोक कुमार अग्रवाल (ऊपर) मामले में, दो न्यायाधीशों की पीठ

यह पाया गया कि सी. बी. आई. नियमावली के प्रावधानों के सख्त अनुपालन की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान ने कहा:

" 24 ..... सी. बी. आई. नियमावली, के वैधानिक प्रावधानों पर आधारित है

सी. आर. पी. सी., दिशानिर्देश प्रदान करता है जिसके सख्त अनुपालन की आवश्यकता होती है।

इससे भी अधिक, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस निर्णय का अनुपात

एम. एम. राजेंद्रन [राज्य टी. एन. बनाम। एम. एम. राजेंद्रन, (1998)

9 एससीसी 268: 1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1000] को इसमें शामिल किया गया है

सी. बी. आई. नियमावली, सी. बी. आई. नियमावली स्वयं निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छा प्राधिकरण है।

मुद्दा हाथ में है। न्यायालय को संबंधित प्रावधानों को पढ़ना होगा - केवल सी. बी. आई. नियमावली और इस न्यायालय का कोई निर्णय एक नहीं हो सकता है।

ऐसे परिदृश्य में बेहतर मार्गदर्शक कारक "।

25. इसलिए सी. बी. आई. के प्रावधानों की जांच करना आवश्यक है।

मैनुअल। सी. बी. आई. नियमावली के अध्याय 8 का शीर्षक "शिकायतें और स्रोत सूचना" है। पैरा 8.1 में कहा गया है कि सी. बी. आई. को हर शिकायत दर्ज करनी चाहिए।

इसे प्राप्त होता है, जो भी इसका स्रोत हो, इससे पहले कि वह इसे सत्यापित करना शुरू करे। पैरा 8.6 (ii) में प्रावधान है कि "सी. बी. आई. के दायरे में आने वाले भ्रष्टाचार या लोक सेवकों के खिलाफ गंभीर कदाचार आदि से जुड़े विशिष्ट और निश्चित आरोपों वाले [सी] शिकायतों के लिए सत्यापन किया जा सकता है, जिसे सत्यापित किया जा सकता है।" परिच्छेद 8.8-8.9 सत्यापन की प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसमें अधिकारियों को अनौपचारिक और विवेकपूर्ण तरीके से अभिलेखों की जांच करनी होती है।

लिखित अनुरोध किए बिना, और यह कि इस प्रक्रिया में आम तौर पर तीन महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन जटिल मामलों के लिए चार महीने तक लग सकते हैं। पैरा 8.24 इंगित करता है कि सौंपा गया अधिकारी सत्यापन को प्रक्रिया के अंत में सी. बी. आई. बनाम के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

विशिष्ट अनुशंसाएँ, जिसमें प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता है या नियमित मामला सीधे दर्ज किया जाना चाहिए।

26. वर्तमान मामले में प्राथमिकी "स्रोत सूचना" के आधार पर दर्ज की गई है। सुनवाई के दौरान और दोनों में

सी. बी. आई. द्वारा दाखिल हलफनामे में यह बताया गया है कि सी. बी. आई. को एक अन्य मामले की जांच करते समय जानकारी और दस्तावेज मिले हैं। सी. बी. आई. नियमावली के पैरा 8.26 में कहा गया है कि सी. बी. आई. का प्रत्येक अधिकारी स्रोत विकसित कर सकता है।

भ्रष्टाचार, आधिकारिक पद का दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति रखने, धोखाधड़ी, गबन, गंभीर आर्थिक अपराधों के बारे में जानकारी,

नशीले पदार्थों और मादक पदार्थों का अवैध व्यापार, मुद्रा की जालसाजी, प्राचीन वस्तुओं की तस्करी, वन्यजीवों को खतरे में डालने वाले कार्य और

पर्यावरण, साइबर अपराध, बैंकिंग/वित्तीय संस्थानों की गंभीर धोखाधड़ी, हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी, पासपोर्ट की जालसाजी आदि और सी. बी. आई. के दायरे में आने वाले अन्य मामले और यह पता लगाने के लिए कि क्या खुली जांच करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है। हालाँकि, ऐसा करते समय, उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारी को 'अच्छी तरह से सूचित' रखना होता है। इसके अलावा, पैरा 8.27 उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जब ऐसी "स्रोत जानकारी" विकसित की जाती है और वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है। वह इस प्रकार है:

" 8.27 . एक बार विकसित होने के बाद स्रोत जानकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें सभी उपलब्ध विवरणों के साथ-साथ चूक और कमीशन के विशिष्ट कार्य और सावधानीपूर्वक एकत्र किए गए दस्तावेजों की प्रतियां दी जानी चाहिए। आंतरिक सतर्कता पूछताछ या विभागीय जांच रिपोर्ट आम तौर पर स्रोत
जानकारी जमा करने के लिए आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। एस. पी. ने खुद को संतुष्ट करने के बाद चिंता व्यक्त की कि प्रथम दृष्टया ऐसी सामग्री है जो सी. बी. आई. द्वारा कार्रवाई के योग्य है और आगे

सत्यापन के परिणामस्वरूप एक नियमित मामला दर्ज होने की संभावना है, यदि यह उसकी क्षमता के भीतर आता है तो सत्यापन का आदेश देगा। इन मामलों में
जो उच्च अधिकारियों की क्षमता के भीतर हैं, वे अपनी विस्तृत टिप्पणियों को डी. आई. जी. को भेजेंगे और पंजीकरण का आदेश देने के लिए सक्षम वरिष्ठ अधिकारी से आदेश प्राप्त करेंगे। एस. आई. आर. एस. का सत्यापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके पंजीकरण को मंजूरी देने के बाद ही शुरू होना चाहिए। इस स्तर पर एस. आई. आर. को एक नियमित एस. आई. आर. संख्या दी जाएगी जिसे अन्य सभी विवरणों के साथ अपराध मॉड्यूल के स्रोत सूचना उप-मॉड्यूल में भी दर्ज किया जाएगा।

इस प्रकार वरिष्ठ अधिकारी को यह सत्यापित करना होता है कि क्या विकसित "स्रोत जानकारी" प्रथम दृष्टया एक के पंजीकरण में परिणाम देगी सी. बी. आई. द्वारा मामला; यदि हाँ, तो उन्हें ऐसे [2021] 13 एस. सी. आर. के सत्यापन का निर्देश देना होगा।

जानकारी दी। सत्यापन पैरा 8.29 द्वारा नियंत्रित होता है, जो पैरा 8.9 के समान प्रक्रिया की बात करता है। पैरा 8.32 में स्रोत के सत्यापन का प्रावधान है। सूचना तीन महीने के भीतर पूरी की जाएगी और उस अवधि के बाद सत्यापन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता होती है। पैरा 8.24 के समान, पैरा 8.33 के तहत, सत्यापन के लिए सौंपे गए अधिकारी को विशिष्ट सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है कि क्या प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है या क्या एक नियमित मामला सीधे दर्ज किया जाना चाहिए।

27. यदि प्रारंभिक जाँच आवश्यक है, तो यह अध्याय द्वारा कवर किया जाता है।

9 सी. बी. आई. नियमावली। पैरा 9.1 में लिखा है:

" 9.1 कब कोई शिकायत या जानकारी प्राप्त होती है उपलब्ध है जो सत्यापन के बाद, जैसा कि इसमें आदेश दिया गया है

नौकर लेकिन एक नियमित के पंजीकरण को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है धारा 154 Cr.P.C के प्रावधानों के तहत मामला।

प्रारंभिक पूछताछ प्राप्त करने के बाद पंजीकृत की जा सकती है।

सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन। जब सत्यापन होता है एक शिकायत और स्रोत की जानकारी से पता चलता है कि

प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध, एक नियमित मामला दर्ज किया जाना है

जैसा कि कानून द्वारा आदेश दिया गया है। पी. ई. को जल्द से जल्द आर. सी. में बदला जा सकता है। यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो जाती है कि प्रथम दृष्टया

एक संज्ञेय अपराध हुआ है। कब

उपलब्ध जानकारी कमीशन को इंगित करने के लिए पर्याप्त है। संज्ञेय अपराध या इसके विवेकपूर्ण सत्यापन से

इसी तरह का निष्कर्ष, एक नियमित मामला दर्ज किया जाना चाहिए प्रारंभिक जाँच के बजाय। इसलिए यह आवश्यक है।

सत्यापन अधिकारी ताकि पीई पंजीकरण का सहारा न लिया जाए जहाँ एक नियमित मामला दर्ज किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

इसलिए, उपरोक्त से दो अलग-अलग सिद्धांत उभरते हैं: ((i) ए

प्रारंभिक जांच तब दर्ज की जाती है जब सत्यापन के बाद जानकारी (शिकायत या "स्रोत जानकारी" से प्राप्त) गंभीर होने का संकेत देती है।

एक लोक सेवक की ओर से कदाचार लेकिन एक नियमित मामले के पंजीकरण को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है; और (ii) जब उपलब्ध जानकारी या उसके गुप्त सत्यापन के बाद एक संज्ञेय सी. बी. आई. के कमीशन का खुलासा होता है।

टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अपराध के लिए आवश्यक रूप से प्रारंभिक जांच का सहारा लेने के बजाय एक नियमित मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

28. अनुच्छेद 9.7-9.8 में कहा गया है कि एक बार यह तय हो जाने के बाद कि प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है, एक "पीई पंजीकरण रिपोर्ट" की आवश्यकता होती है।

तैयार हैं। पैरा 9.10 निर्दिष्ट करता है कि भ्रष्टाचार के मामलों में, प्रारंभिक जांच अभिलेखों की जांच और कम से कम व्यक्तियों से बात करने तक सीमित होनी चाहिए। पैरा 9.11 में कहा गया है कि अभिलेखों को एक उचित रसीद ज्ञापन (सत्यापन की प्रक्रिया के विपरीत) के तहत एकत्र किया जाना चाहिए और इसमें दिए गए बयानों को उसी तरीके से एकत्र किया जाना चाहिए जैसे वे जांच के चरण में होंगे। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक जांच के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 और 160 के तहत नोटिस का सहारा नहीं लिया जाएगा। पैरा 9-12-9-14 फिर प्रारंभिक जाँच को नियमित मामले में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पर चर्चा करें, जो उस समय होनी चाहिए जब पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो जो एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन हो सकता है। अंत में, पैरा 9.16 में प्रावधान है कि प्रारंभिक जांच तीन महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

डी. 3 विश्लेषण

29. इस न्यायालय के उदाहरण और सी. बी. आई. नियमावली के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि प्रारंभिक जांच नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप वाले सभी मामलों में यह अनिवार्य है। ललिता

कुमारी (उपरोक्त) मामले में संविधान पीठ के फैसले में कहा गया है कि यदि प्राप्त जानकारी एक संज्ञेय आयोग का खुलासा करती है

प्रारम्भ में अपराध के लिए किसी प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता नहीं होगी। इसने यह भी स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जांच का दायरा प्राप्त जानकारी की सत्यता की जांच करना नहीं है, बल्कि केवल यह जांच करना है कि क्या यह संज्ञेय अपराध करने का खुलासा करता है। इसी तरह, का पैरा 9.1

संज्ञेय अपराध। एक समान निष्कर्ष पर दो लोग पहुंचे हैं। मानागिपेट (ऊपर) में भी न्यायाधीश पीठ। इसलिए, यह प्रस्ताव कि प्रारंभिक जांच अनिवार्य है, स्पष्ट रूप से कानून के विपरीत है, क्योंकि यह केवल ललिता कुमारी मामले में संविधान पीठ के फैसले के विपरीत नहीं है

(ऊपर) लेकिन यह सी. बी. आई. नियमावली द्वारा बनाए गए ढांचे को भी तोड़ देगा।

30. इस दृष्टिकोण का समर्थन तीन न्यायाधीशों के फैसले से भी होता है।

भारत संघ बनाम में इस न्यायालय की पीठ। महाराष्ट्र राज्य ", जिसने सुभाष काशीनाथ मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को उलट दिया

महाजन बनाम। महाराष्ट्र राज्य ", जिसने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया था कि" यह पता लगाने के लिए संबंधित डीएसपी द्वारा प्रारंभिक जांच की जा सकती है। क्या आरोप [अनुसूचित मामले और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 198958] के तहत एक मामला बनाते हैं और क्या आरोप तुच्छ या प्रेरित नहीं हैं "। हालांकि, तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में, यह माना गया था कि इस तरह का निर्देश अस्वीकार्य था क्योंकि न तो दंड प्रक्रिया संहिता और न ही अत्याचार अधिनियम प्रारंभिक जांच का आदेश देता है।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा:

" 68. निर्देश यह भी जारी किया गया है कि डीएसपी को आचरण करना चाहिए। यह पता लगाने के लिए एक प्रारंभिक जांच कि क्या आरोप एक

अत्याचार अधिनियम के तहत मामला, और यह कि आरोप तुच्छ नहीं हैं

या प्रेरित। यदि एक संज्ञेय अपराध बनाया जाता है, तो

एफ. आई. आर. पूरी तरह से दर्ज की जानी चाहिए, और कोई प्रारंभिक जांच नहीं होनी चाहिए।

जैसा कि ललिता कुमारी [ललिता कुमारी बनाम] में आयोजित किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 2 एस. सी. सी. 1: (2014) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 524] संविधान पीठ। संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है

प्रारंभिक जांच के लिए या के तहत दंड प्रक्रिया

एससी/एसटी अधिनियम, इस तरह का निर्देश अस्वीकार्य है। इसके अलावा यह

भारत संघ के दृष्टिकोण के अनुसार डी. एस. पी. की संख्या इस तरह के लिए आवश्यक है। प्रारंभिक जाँच का अभ्यास उपलब्ध नहीं है। दिशा.

इसका मतलब यह होगा कि भले ही किसी शिकायत को संज्ञेय अपराध माना जाए,

यदि प्रारंभिक जांच में यह निष्कर्ष निकलता है कि आरोप झूठे हैं या प्रेरित, एफ़. आई. आर. दर्ज नहीं की जानी चाहिए, ऐसे मामले में कैसे एक अंतिम

अदालत में रिपोर्ट दायर करनी होगी। दिशा 79.4 के लिए जीवित नहीं रह सकता है

अन्य कारण जो अनुसूचित जातियों के सदस्यों को बताते हैं

और अनुसूचित जनजातियाँ मामले में नुकसानदेह स्थिति में

ऊपरी सदन के सदस्यों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के संबंध में प्रक्रिया

जाति, बाद वाले के लिए ऐसी कोई प्रारंभिक जाँच आवश्यक नहीं है। में।

इस मामले का दृष्टिकोण प्रारंभिक आयोजित करने के लिए आवश्यक नहीं होना चाहिए

अत्याचार अधिनियम, 1989 के तहत अपराध दर्ज करने के लिए जांच।

(जोर दिया गया)

57 (2018) 6 एससीसी 454 58 " अत्याचार अधिनियम "सीबीआई बनाम।

टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

31. विनोद दुआ बनाम मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले में। भारत संघ और अन्य, न्यायालय का एक निर्देश मांगा गया था

यह आवश्यक है कि "अब से कम से कम 10 साल के मीडिया से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी तब तक दर्ज नहीं की जाए जब तक कि एक समिति द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती है।" इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि ऐसा करना एक प्रारंभिक जांच शुरू करने के समान होगा जो नहीं थी वैधानिक ढांचे द्वारा अधिदेशित। पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति यू यू ललित ने कहा:

" 101 ..... डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन द्वारा प्रारंभिक जाँच के संबंध में जारी किए गए निर्देश नहीं पाए गए।

वैधानिक ढांचे के अनुरूप। रिट याचिका में की गई दूसरी प्रार्थना यह है कि समिति का गठन पूरी तरह से वैधानिक ढांचे के दायरे से बाहर किया जाए। एक समिति के गठन को निर्देशित करने की इसी तरह की कवायद को ऊपर चर्चा किए गए निर्णयों में वैधानिक ढांचे के साथ असंगत पाया गया। दूसरी प्रार्थना के संदर्भ में दी गई कोई भी राहत निश्चित रूप से, हमारे विचार में, विधायिका के लिए आरक्षित क्षेत्र पर अतिक्रमण के बराबर होगी। इसलिए, हमें प्रार्थना को अस्वीकार करने और उस हद तक रिट याचिका को खारिज करने में कोई संकोच नहीं है।

32. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि चूंकि भ्रष्टाचार के मामलों में प्रारंभिक जांच की संस्था को अनिवार्य नहीं बनाया गया है

सी. आर. पी. सी., पी. सी. अधिनियम या यहाँ तक कि सी. बी. आई. नियमावली के तहत एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले, इस न्यायालय के लिए उस प्रभाव के लिए निर्देश जारी करना विधायी क्षेत्र में कदम रखने के समान होगा। इसलिए, हमारा मानना है कि यदि सी. बी. आई. द्वारा अध्याय 8 के तहत एक शिकायत या "स्रोत जानकारी" के माध्यम से प्राप्त जानकारी, एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है, तो वह प्रारंभिक जांच करने के बजाय सीधे एक नियमित मामला दर्ज कर सकती है, जहां अधिकारी संतुष्ट है कि

जानकारी एक संज्ञेय अपराध के अपराध का खुलासा करती है। 33. उपरोक्त सूत्रीकरण एक उपयुक्त मामले में प्रारंभिक जांच करने के मूल्य को कम नहीं करता है। यह हुआ है

पी. सिराजुद्दीन (ऊपर), ललिता कुमारी (ऊपर) और चरणसिंह (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसलों द्वारा स्वीकार किया गया। विनोद दुआ में भी

(ऊपर), इस न्यायालय ने नोट किया कि "तथ्य की बात, स्वीकृत मानदंड-चाहे वह सी. बी. आई. नियमावली के रूप में हो या उपकरणों की तरह-एक पर जोर देना है

प्रारंभिक जाँच "। एक नियमित मामले का पंजीकरण हो सकता है 59 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 414 [2021] 13 एस. सी. आर.

एक अधिकारी के कैरियर के लिए विनाशकारी परिणाम, यदि आरोप अंततः झूठे साबित होते हैं। प्रारंभिक जाँच में, सी. बी. आई. को दस्तावेजी अभिलेखों तक पहुँचने और व्यक्तियों से बात करने की अनुमति दी जाती है जैसे वे जाँच में करते हैं, जिसमें कहा गया है कि एकत्र की गई जानकारी का उपयोग जाँच के स्तर पर भी किया जा सकता है। इसलिए, प्रारंभिक जांच करने से अभियुक्त व्यक्तियों पर समय पर मुकदमा चलाने के अंतिम लक्षय से हाथ नहीं हटेगा। हालाँकि, हम एक बार फिर स्पष्ट करते हैं कि यदि सी. बी. आई. प्रारंभिक जाँच न करने का विकल्प चुनती है, तो अभियुक्त अधिकार के रूप में इसकी माँग नहीं कर सकता है। जैसा कि इस अदालत ने मनगीपेट (ऊपर) में स्पष्ट किया है, ललिता कुमारी (ऊपर) का यह उल्लेख करने का उद्देश्य कि भ्रष्टाचार के मामलों में प्रारंभिक जांच मूल्यवान है, अभियुक्त को अधिकार सौंपना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि लोक सेवकों को निशाना बनाने के लिए कानून की प्रक्रिया का कोई दुरुपयोग न हो।

ई. क्या एफ. आई. आर. को रद्द किया जाना चाहिए

ई. 1 उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा का दायरा

34. पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देने के बाद, अदालत के सामने दूसरा प्रश्न आ जाता है कि क्या प्राथमिकी रद्द की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में। इसका उत्तर देने के लिए, हमें पहले उस समीक्षा के दायरे पर विचार करना चाहिए जो एक उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक प्राथमिकी को रद्द करने के लिए एक याचिका पर विचार करते समय करता है।

35. अच्छी तरह से तय परीक्षा यह है कि क्या, जैसा कि वे खड़े हैं, आरोप हैं।

एफ. आई. आर. में निहित एक अपराध बनाता है। इस मुद्दे पर हमारा विशिष्ट स्थान भजन लाल (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है, जिसमें न्यायालय ने ऐसी स्थितियों का एक उदाहरणात्मक समूह प्रदान किया है जहां उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। फैसला सुनाते हुए, न्यायमूर्ति एस रत्नवेल पांडियन ने कहा:

" 102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की व्याख्या की पृष्ठभूमि में, जो हमारे पास है। ऊपर निकाले गए
और पुनः प्रस्तुत किए गए, हम उदाहरण के माध्यम से निम्नलिखित श्रेणियों के मामले देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि यह संभव नहीं हो सकता है कि सी. बी. आई. बनाम.

टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से निर्धारित करना चैनलाइज्ड और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना जिसमें ऐसी शक्ति हो।

व्यायाम करना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है। (2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और एफ. आई. आर. के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराती है।

(3) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्षय किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं। (4) जहां, एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध हैं,

बिना किसी आदेश के पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच की अनुमति दी जाती है।

संहिता की धारा 155 (2) के तहत अनुध्यात मजिस्ट्रेट।

(5) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिसके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि पर्याप्त है।

अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए आधार।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही को जारी रखने और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, वहां पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी रोक है।

(7) जहाँ किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहाँ कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने के उद्देश्य से शुरू की जाती है। "[2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

36. नीहरिका इन्फ्रास्ट्रक्चर (उपरोक्त) मामले में इस अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ के एक और हालिया फैसले में, न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने हममें से एक (न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़) की पीठ की ओर से बोलते हुए, संविधान के अनुच्छेद 226 या सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को स्पष्ट किया:

" 80. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य/मुख्य मुद्दे पर हमारे अंतिम निष्कर्ष, क्या उच्च न्यायालय धारा 482 Cr.P.C और/के तहत रद्द करने की याचिका के लंबित रहने के दौरान जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित करने और/या "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाने" को उचित ठहराएगा। या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत और किन परिस्थितियों में और क्या उच्च न्यायालय अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश पारित करने में या जांच के दौरान या जब तक धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है, तब तक "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाने" का आदेश पारित करना उचित होगा।

धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही/शिकायत/एफ. आई. आर. का निपटारा करना/मनोरंजन नहीं करना/रद्द नहीं करना। और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, हमारे अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

i) पुलिस को अध्याय में निहित दंड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है।

एक संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए संहिता का XIV;

(ख) न्यायालय संज्ञेय अपराधों की किसी भी जांच को विफल नहीं करेंगे। (iii) यह केवल उन मामलों में है जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी संज्ञेय अपराध या किसी भी प्रकार के अपराध का खुलासा नहीं किया गया है -

न्यायालय जाँच जारी रखने की अनुमति नहीं देगा; (iv) रद्द करने की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए।

चौकसी के साथ, जैसा कि यह देखा गया है, दुर्लभतम मामलों में (मृत्युदंड के संदर्भ में गठन के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए)।

v) एक प्राथमिकी/शिकायत की जांच करते समय, जिसे रद्द करने की मांग की जाती है, अदालत आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू नहीं कर सकती है। एफ. आई. आर./शिकायत में किया गया; सी. बी. आई. बनाम।

टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(vi) आपराधिक कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

(vii) शिकायत/एफ. आई. आर. को रद्द करना एक सामान्य नियम के बजाय एक अपवाद होना चाहिए।

viii) आम तौर पर, अदालतों को पुलिस के अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोक दिया जाता है, क्योंकि राज्य के दो अंग गतिविधियों के दो विशिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं और एक को दूसरे क्षेत्र में नहीं चलना चाहिए; (ix) न्यायपालिका और पुलिस के कार्य पूरक हैं, परस्पर व्याप्त नहीं हैं।

x) अपवादात्मक मामलों को छोड़कर जहां गैर-हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी, न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया को अपराधों की जांच के चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए;

xi) न्यायालय की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं;

xii) प्रथम सूचना रिपोर्ट एक विश्वकोश नहीं है जिसे रिपोर्ट किए गए अपराध से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा करना चाहिए। इसलिए, जब पुलिस द्वारा जांच चल रही है, तो अदालत को गुण-दोष में नहीं जाना चाहिए

एफ. आई. आर. में आरोप। पुलिस को जांच पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि शिकायत/एफ. आई. आर. जांच के योग्य नहीं है या यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जाँच के बाद, यदि जाँच अधिकारी को पता चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए आवेदन में कोई सार नहीं है, तो जाँच अधिकारी विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष एक उचित रिपोर्ट/सारांश दाखिल कर सकता है, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा सकता है।

xiii) धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्ति बहुत व्यापक है, लेकिन व्यापक शक्ति प्रदान करने के लिए न्यायालय को अधिक व्यापक होने की आवश्यकता है।

सावधानी बरतें। यह अदालत पर एक कठिन और अधिक मेहनती कर्तव्य डालता है;

xiv) हालांकि, एक ही समय में, अदालत, यदि वह उचित समझती है, तो रद्द करने के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए और कानून द्वारा लगाया गया आत्म-संयम, विशेष रूप से [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कथित अभियुक्त और अदालत को जब वह धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग करता है, तो केवल इस बात पर विचार करना होता है कि क्या एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोप किसी अपराध को अंजाम देने का खुलासा करते हैं। संज्ञेय अपराध या नहीं। अदालत को गुण-दोष पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या आरोपों के गुण-दोष एक संज्ञेय अपराध बनाते हैं या नहीं और अदालत ने

जाँच एजेंसी/पुलिस को एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों की जाँच करने की अनुमति देना। xvi) उपरोक्त मापदंड लागू होंगे और/या धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक रद्द करने वाली याचिका में अंतरिम आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त पहलुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है।

और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत।

हालांकि, रद्द करने की याचिका के लंबित रहने के दौरान जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है।

परिवीक्षण। इस तरह के अंतरिम आदेश को नियमित रूप से, आकस्मिक रूप से और/या यांत्रिक रूप से पारित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आम तौर पर, जब जांच चल रही होती है और तथ्य अस्पष्ट होते हैं और पूरा सबूत/सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं होती है, तो उच्च न्यायालय न्यायालय को गिरफ्तारी नहीं करने या "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने" का अंतरिम आदेश पारित करने से खुद को रोकना चाहिए और अभियुक्त को सक्षम न्यायालय के समक्ष धारा 438 Cr.P.C के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय जांच के दौरान या जांच पूरी होने तक और/या अंतिम रिपोर्ट आने तक गिरफ्तारी नहीं करने और/या "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने" का आदेश पारित करना उचित नहीं होगा।

धारा 173 Cr.P.C के तहत आरोप पत्र दायर किया जाता है, जबकि धारा 482 Cr.P.C के तहत रद्द करने की याचिका को खारिज/निपटाया जाता है। और / या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत।

xvii) ऐसे मामले में भी जहां उच्च न्यायालय की प्रथम दृष्टया यह राय है कि धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यापक मापदंडों पर विचार करने के बाद आगे की जांच पर अंतरिम रोक लगाने के लिए एक असाधारण मामला बनाया गया है। और/या

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सी. बी. आई. v.

टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इसके अलावा, उच्च न्यायालय को संक्षिप्त कारण बताना होगा कि ऐसा क्यों है। एक अंतरिम आदेश आवश्यक है और/या इसे पारित करने की आवश्यकता है

कि यह न्यायालय द्वारा मन के अनुप्रयोग को प्रदर्शित कर सकता है और

उच्च मंच इस बात पर विचार कर सकता है कि उच्च के साथ क्या तौला गया था

इस तरह का अंतरिम आदेश पारित करते हुए न्यायालय।

" उपरोक्त मानदंडों के भीतर कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। उच्च न्यायालय को स्पष्ट करना चाहिए कि "कोई जबरदस्ती नहीं" का क्या अर्थ है

"शब्द के रूप में अपनाए जाने वाले कदम" कोई दंडात्मक कदम नहीं "

इसे बहुत अस्पष्ट और/या व्यापक कहा जा सकता है जो गलत समझा गया और/या गलत तरीके से लागू किया गया।

(जोर दिया गया)

37 अब हमें यह आकलन करना होगा कि क्या तेलंगाना का एकल न्यायाधीश

उच्च न्यायालय ने एफ. आई. आर. को रद्द करते हुए ऊपर वर्णित कानून के मापदंडों के भीतर निर्णय लिया है। उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर निम्नलिखित दस्तावेजों पर ध्यान दिया है: (i) आयकर विवरणी; (ii) सी. सी. एस. नियमों के तहत अपने विभाग को पहले प्रतिवादी द्वारा खुलासा; (iii) आर. पी. अधिनियम और नियमों के तहत दूसरे प्रतिवादी द्वारा दायर एक हलफनामा; (iv) 14 मार्च 2016 को पहले प्रतिवादी द्वारा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (सी. सी. ए.), चेन्नई को एक पत्र। उसके घर के निर्माण के विवरण के संबंध में, और इसका प्रमाण 12 जून 2017 के एक कार्यालय ज्ञापन द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया है; और (v) आयकर उपायुक्त, हैदराबाद से 15 जून 2016 का एक पत्र जिसमें 27 फरवरी 2016 को प्राप्त संपत्ति और मूल्य की बिक्री के संबंध में प्रथम प्रतिवादी से प्राप्त सूचना और उसके द्वारा किए गए निवेश के संबंध में प्रथम प्रतिवादी द्वारा सूचना का उल्लेख किया गया है। इन दस्तावेजों पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा है:

" इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उपरोक्त दस्तावेज सही हैं।

इस अर्थ में कि संबंधित विभागों के साथ दायर किया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है। ऊपर उल्लिखित कानून को ध्यान में रखते हुए,

भ्रष्टाचार निवारण की धारा 13 (1) (ई) का उद्देश्य अधिनियम "।

एकल न्यायाधीश की ओर से एक मौलिक त्रुटि है

एक दस्तावेज़ जो सार्वजनिक क्षेत्र में है, उसकी सच्चाई के साथ संयोजन सामग्री।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

38. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया कि अपीलार्थी द्वारा उनके समक्ष दायर जवाबी-हलफनामे में यह स्वीकार किया गया है कि प्राथमिकी केवल "स्रोत जानकारी" के आधार पर और प्रत्यर्थियों के आयकर रिटर्न को सत्यापित किए बिना तैयार की गई है। इसलिए, अपीलार्थी के दृष्टिकोण में दोष को उजागर करते हुए नहीं

एक प्रारंभिक जांच का संचालन करते हुए, उच्च न्यायालय तब मानता है कि इसे एफ. आई. आर. में अनियमितताओं की जांच करें। एकल न्यायाधीश ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" स्रोत की जानकारी में ही कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं के पास 692/- रुपये की आय से अधिक संपत्ति है। यह न्यायालय यह समझने में असमर्थ है कि स्रोत जानकारी वास्तव में आय से अधिक संपत्ति की राशि को कैसे प्रकट करेगी। भले ही यह वहाँ है, प्रतिवादी ने कॉल करके इसकी पुष्टि करने की मांग की

प्रारंभिक पूछताछ करके याचिकाकर्ताओं का स्पष्टीकरण

जो नहीं किया जाता है। यह परिस्थिति, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत की गई है, इस बात पर जोर देगी कि एफ. आई. आर. जल्दबाजी में पंजीकृत है, वह भी चेन्नई में, बिना किसी परेशानी के, एफ. आई. आर. में उल्लिखित आय से अधिक संपत्ति के आंकड़ों की सच्चाई और शुद्धता का पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करने के लिए, क्योंकि जवाबी हलफनामा बताता है कि स्रोत जानकारी के एकमात्र आधार पर, सीधे एफ. आई. आर. पंजीकृत है। यह न्यायालय द्वारा प्रस्तुत तर्कों की शुद्धता को स्वीकार करने में असमर्थ है

' जाँच के दौरान याचिकाकर्ताओं को 'अवसर'। इसका मतलब है कि उत्तरदाता अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं प्रारंभिक जाँच करना।

यह उपरोक्त कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दों के आलोक में है, यह न्यायालय मूल मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए एफ. आई. आर. के बयान ए से डी में याचिकाकर्ताओं द्वारा इंगित अनियमितताओं की जांच पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इच्छुक है कि क्या प्रतिवादियों के पास प्रथम दृष्टया है।

यह निष्कर्ष निकालने के लिए सामग्री कि याचिकाकर्ताओं के कब्जे में हैं

असमान संपत्ति "।

39. उच्च न्यायालय ने तब विस्तृत रूप से जांच करके और पांच प्रमुख आधारों की ओर इशारा करते हुए प्राथमिकी को रद्द कर दिया। सबसे पहले, इसने निपटा लिया है तर्क है कि एफ. आई. आर. में उत्तरदाताओं की आय की गलत गणना है। इसने माना है कि जहां एफ. आई. आर. चेक अवधि में उत्तरदाताओं की आय को 1,39,61,044 रुपये बताती है, वहीं उनके आयकर रिटर्न से पता चलता है कि यह 2,47,63,542 रुपये है। इसलिए, प्रत्यर्थियों के आयकर सीबीआई बनाम के आधार पर।

टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अकेले रिटर्न में, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि रुपये 1,08,02,528 की आय में अंतर को एफ. आई. आर. में स्टेटमेंट-सी में जोड़ा जाए। दूसरा, यह एफ. आई. आर. के विवरण-सी के क्रम संख्या 9 के साथ उत्तरदाताओं के मुद्दे से संबंधित है, कि जब उन्होंने 1 करोड़ रुपये की राशि (वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अपने आयकर विवरण के अनुसार) के लिए एक संपत्ति बेची, तो उनकी आय केवल 72,50,000 के रूप में उल्लिखित है। उच्च न्यायालय ने इस निवेदन को स्वीकार कर लिया है और अपीलार्थी की इस स्थिति को खारिज कर दिया है कि रुपये की राशि उनकी "स्रोत जानकारी" के आधार पर दर्ज की गई थी। इस प्रकार, इसने निर्देश दिया कि उत्तरदाताओं की आय में रुपये 25,00,000 की राशि को जोड़ा जाए।

बयान-एफ. आई. आर. का सी। तीसरा, यह एफ. आई. आर. के कथन-बी के क्रम संख्या 26 पर उत्तरदाताओं की आपत्ति को नोट करता है, जहां एक ही संपत्ति है।

चेक अवधि के अंत में उत्तरदाताओं की 8 लाख रुपये की संपत्ति के रूप में भी शामिल किया गया था। इसने प्रत्यर्थियों के निवेदन को स्वीकार कर लिया है और निर्देश दिया है कि 8 लाख रुपये की राशि को रद्द कर दिया जाए।

एफ. आई. आर. का कथन-बी। चौथा, यह उत्तरदाताओं की आपत्ति से संबंधित है।

कि एफ. आई. आर. के विवरण-बी के क्रम संख्या 6 और 7 में उनकी संपत्ति, जो पहले प्रतिवादी द्वारा निर्मित घर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से हैं, का मूल्य रुपये से अधिक किया गया है (एफ. आई. आर. में इसका मूल्य रुपये से अधिक होने का उल्लेख किया गया है, जबकि उत्तरदाताओं का कहना है कि यह रुपये से अधिक है, जो पहले प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है और प्रधान मुख्य

आयकर आयुक्त (सी. सी. ए.), चेन्नई को पहले प्रतिवादी द्वारा 14 मार्च 2016 को लिखे पत्र में उल्लेख किया गया है)। उच्च न्यायालय ने तब अपने जवाबी-हलफनामे में अपीलार्थी के जवाब को नोट किया है कि प्राथमिकी में संपत्ति का मूल्य था "स्रोत जानकारी" के आधार पर उल्लेख किया गया है, और उसके बाद, उन्होंने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मूल्यांकन प्राप्त किया है जिसने इसका मूल्य 6,48,85,300 रुपये रखा है। इस तर्क को तब उच्च न्यायालय द्वारा संक्षेप में यह कहते हुए खारिज कर दिया गया है कि अपीलकर्ता बिना किसी निर्णय के संपत्ति का सही मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता था।

एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले प्रारंभिक पूछताछ। अंत में, इस घर के संबंध में, उत्तरदाताओं ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि घर में लिफ्ट का मूल्य प्राथमिकी के विवरण-बी के क्रम संख्या 31 में अलग से 10 लाख के रूप में उल्लेख किया गया है, जबकि उनका मानना है कि इसे पहले से ही उनके द्वारा बनाए गए घर के मूल्यांकन में शामिल किया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ठीक से यह नहीं बता सका कि ऐसा क्यों किया गया प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को पहले प्रतिवादी द्वारा 14 मार्च 2016 को लिखे पत्र पर भरोसा करते हुए इसे अलग से शामिल किया गया और इसे प्राथमिकी के विवरण-बी से हटाने का निर्देश दिया गया।

(सी. सी. ए.), चेन्नई, जिसमें सदन की मूल्यांकन रिपोर्ट शामिल थी, इसके बाद उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित तालिका के रूप में अपने निष्कर्षों का सारांश प्रदान किया:

I. निम्नलिखित मूल्यों को आय में शामिल किया जाना चाहिए।

बयान-सी में याचिकाकर्ताओं को दिखाया गया है।

1. प्रथम द्वारा प्राप्त वेतन और बकाया का अंतर

37,67,242

याचिकाकर्ता

2 . दूसरे याचिकाकर्ता की आय का अंतर

70,35,286

3 . 27,50,000 की बिक्री द्वारा प्राप्त बिक्री विचार का अंतर

बेंगलुरु में अचल संपत्ति

विवरण-सी में जोड़ी जाने वाली आय की कुल राशि

1,35,52,528

II. विवरण से निम्नलिखित राशि की कटौती की जानी चाहिए-बी

1 . निर्मित भवन के मूल्य का अंतर 85,78,200

प्रथम याचिकाकर्ता द्वारा

8,00,000

2 . बेंगलुरु की संपत्ति की कीमत जो पहले ही बेची जा चुकी थी

दूसरे याचिकाकर्ता द्वारा दूर

3 . ऑस्कैन लिफ्ट का मूल्य जो 10,00,000 में शामिल है

भवन के निर्माण का मूल्य

1 स्टेपिशनर

विवरण-बी में जोड़ी जाने वाली आय की कुल राशि

1,03.78,200

क) संशोधित कुल आय (विवरण-ग)

6,20,29,158

ख)। चेक के अंत में निहित परिसंपत्तियों का कुल मूल्य 5,86,72,866

संशोधित अवधि (कथन-बी)

99 इसने तब 'संशोधित' आंकड़े प्रदान किए (एफ. आई. आर. की तुलना में)

एक और मेज:

Sl.No। परिसंपत्तियों का विवरण

राशि

चेक अवधि की शुरुआत में परिसंपत्तियाँ

ए.

1,35,26,06
6

चेक अवधि के अंत में परिसंपत्तियाँ

5,86,72,86
6

बी.

एस.

4,51,46,800

चेक अवधि के दौरान परिसंपत्तियाँ (बी-ए)
चेक अवधि के दौरान आय

6,20,29,15
8

डी.

चेक अवधि के दौरान व्यय

ई.

40,33,322

परिसंपत्तियाँ + व्यय-आय (डीए)

-
1,28,49,036

एफ.

इसके आधार पर, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थियों के खिलाफ कोई भी मामला आय से अधिक संपत्ति का नहीं बनाया गया था।

उनकी संशोधित आय चेक अवधि में उनके खर्च और परिसंपत्तियों के मूल्य से अधिक थी।

सीबीआई बनाम। टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

40. उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पूरी तरह से तय सीमा से परे काम किया है।

पैरामीटर जो एक एफ. आई. आर. को रद्द करने की शक्ति को नियंत्रित करते हैं। एकल न्यायाधीश ने एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की भूमिका निभाई है। एकल न्यायाधीश ने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है कि न्यायालय मुकदमे के चरण में नहीं था या मुकदमे में किसी फैसले के खिलाफ अपील पर विचार नहीं कर रहा था। एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत सामग्री की जांच की है, इसकी तुलना एफ. आई. आर. और उनके जवाबी-हलफनामे में सी. बी. आई. द्वारा प्रदान की गई जानकारी से की है, और फिर प्रत्यर्थियों द्वारा उठाए गए प्रत्येक व्यक्तिगत आरोप के गुण-दोष पर फैसला सुनाया है, जो काफी हद तक उनके द्वारा दायर दस्तावेजों पर निर्भर है (उन्हें पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के अर्थ के भीतर 'आय के ज्ञात स्रोत' मानते हुए)। यह प्रयोग इसलिए उचित ठहराया गया है क्योंकि अपीलार्थी ने प्रारंभिक पूछताछ नहीं की थी और इसलिए, उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए उत्तरदाताओं की आपत्तियों को संबोधित नहीं किया था। एफ. आई. आर. को रद्द करते समय विवाद के गुण-दोष में प्रवेश करने के लिए एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारण स्पष्ट हैं, विशेष रूप से हमारे निष्कर्ष पर विचार करते हुए कि सी. बी. आई. को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर निर्णय लेते समय, उच्च न्यायालय को केवल

इस बात पर विचार किया गया कि क्या एफ. आई. आर. की सामग्री-जैसा कि वे खड़े हैं और उनके चेहरे पर-प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि (पेपर के) एक सौ सात पृष्ठों के फैसले में

इस अपील में) एकल न्यायाधीश ने एक लघु-परीक्षण किया है, जिसमें बाध्यकारी सिद्धांतों की अनदेखी की गई है जो एक प्राथमिकी को रद्द करने के लिए एक याचिका को नियंत्रित करते हैं। 41. गुनमाला सेल्स (पी) लिमिटेड में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। अनु मेहता 6 1 यह बहुत स्पष्ट करता है कि उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लघु-परीक्षण या घुमावदार जांच नहीं करता है। न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई ने कहा:

" 34.4 . संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। उच्च न्यायालय हमेशा उपयोग करता है और

अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस शक्ति का उपयोग संयम से और बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पालन किए जाने वाले कोई निश्चित सूत्र नहीं हैं और इस शक्ति का प्रयोग तथ्यों और तथ्यों पर निर्भर करता है।

प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ। उस स्तर पर उच्च न्यायालय करता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो यह निष्कर्ष निकाल सकती हैं कि नहीं एक विशेष निदेशक के लिए परीक्षण आवश्यक है।

यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा शक्तियों के प्रयोग पर भी लागू होता है।

एफ. आई. आर. रद्द करने के लिए रिट याचिका। इसके अलावा, इस न्यायालय के कई निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई न्यायालय आरोप तय करने के चरण में लघु-परीक्षण नहीं कर सकता है। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता या अनुच्छेद की धारा 482 के तहत एक प्राथमिकी को रद्द करने के लिए एक याचिका पर विचार करने के चरण में ऐसा करना।

226 संविधान भी स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। इसलिए, हम तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा 11 फरवरी 2020 के अपने विवादित फैसले में प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिए गए तर्क को अस्वीकार करते हैं।

ई. 2 क्या वर्तमान में एफ़. आई. आर. को रद्द किया जा सकता है।

मामला

42. अब हमें स्वतंत्र रूप से एफ़. आई. आर. का आकलन करना चाहिए ताकि

निर्णय लें कि क्या इसे रद्द किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में एफ. आई. आर. धारा 13 (1) (ई) के तहत एक अपराध का खुलासा करती है, जो 26 जुलाई से 2018 के संशोधन अधिनियम 16 के माध्यम से इसके संशोधन से पहले किया गया था।

2018 , निम्नलिखित रूप में प्रदान किया गया है:

" 13. लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचार। — (1) एक लोक सेवक

आपराधिक दुराचार का अपराध करने के लिए कहा जाता है, -

[... .]

(ङ) यदि वह या उसकी ओर से कोई व्यक्ति कब्जे में है या अपने पद की अवधि के दौरान किसी भी समय कब्जे में रहा है, जिसके लिए लोक सेवक संतोषजनक रूप से धन का लेखा नहीं दे सकता है।

उसके ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक संसाधन या संपत्ति

आय।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ज्ञात स्रोत

आय का अर्थ है किसी वैध स्रोत से प्राप्त आय और

ऐसी रसीद को प्रावधानों के अनुसार सूचित किया गया है

जनता पर तत्काल लागू होने वाले किसी भी कानून, नियमों या आदेश का

सेवक "।

62 उड़ीसा राज्य बनाम। देबेंद्र नाथ पाधी, (2005) 1 एस. सी. सी. 568, पैरा 18; भारत पारिख बनाम। सी. बी. आई. (2008) 10 एस. सी. सी. 109, पैरा 19; इंदु जैन बनाम। एम. पी. राज्य, (2008) 15 एस. सी. सी. 341, पैरा 39; एशियन रीसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी (पी) लिमिटेड v. सी. बी. आई. (2018) 16 एस. सी. सी. 299, पैरा 33-34 सी. बी. आई. बनाम।

टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

43. दो न्यायाधीशों द्वारा प्रावधान के दायरे की व्याख्या की गई है।

केदारी लाल (ऊपर) में इस न्यायालय की पीठ। न्यायमूर्ति यू यू ललित ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

" 10. अनुभाग में "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति

13 (1) (ई) अधिनियम के दो तत्व हैं, पहला, आय होनी चाहिए।

वैध स्रोत से प्राप्त किया जाना चाहिए और दूसरा, रसीद

ऐसी आय के बारे में तदनुसार सूचित किया जाना चाहिए।

कुछ समय के लिए कानून, नियमों या आदेशों के प्रावधानों के साथ

लोक सेवक पर लागू होता है। एन. रामकृष्णैया में [एन.

रामकृष्णैया बनाम। ए. पी. राज्य (2008) 17 एस. सी. सी. 83: (2010) 4

एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 454], उक्त अभिव्यक्ति पर विचार करते हुए, यह था

यह देखा गया: (एससीसी पीपी। 86-87 , पैरा 17)

" 17. ' 6. ..... क्या लोक सेवक को जो भी प्रतिफल मिलता है

उसकी सेवा, उसकी आय की प्राथमिक वस्तु होगी। [अन्य आय

जो कि संभवतः लोक सेवक की आय हो सकती है,

(क) उसकी संपत्ति, या (ख) उसके निवेश से नियमित रसीद में। [एड। जैसा कि एम. पी. v. राज्य में देखा गया है। अवध किशोर गुप्ता,

(2004) 1 एस. सी. सी. 691 पी. 697 : 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 353, पैरा 6।] "

वसीयत के तहत पैतृक संपत्ति या वसीयत के विभाजन में हिस्सेदारी या घनिष्ठ संबंधों से प्रगति अभिव्यक्ति के भीतर आएगी

" आय के ज्ञात स्रोत "बशर्ते दूसरी शर्त बनी रहे पूरा किया गया अर्थात, ऐसी प्राप्तियों को विधिवत सूचित किया गया था

जैसा कि निर्धारित किया गया है "।

(जोर दिया गया)

44. वर्तमान मामले में, उत्तरदाताओं ने हमारे समक्ष अपनी याचिका दायर की है

आयकर विवरणी, सी. सी. एस. नियमों के तहत विवरण, आर. पी. अधिनियम के तहत शपथ पत्र और तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अन्य सभी दस्तावेज भी। इन दस्तावेजों के आधार पर, उत्तरदाताओं ने

आग्रह किया।

कि एफ. आई. आर. में जाँच अवधि के दौरान उनकी आय, व्यय और परिसंपत्तियों के मूल्य की गणना गलत है। प्रस्ताव के समर्थन में कि इन दस्तावेजों पर भरोसा किया जा सकता है, उन्होंने केदारी लाल (ऊपर) के फैसले में निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर इशारा किया है:

" 12. तत्काल मामले में, द्वारा प्राप्त प्रत्येक राशि अपीलार्थी को अभिलेख के माध्यम से साबित किया गया है

समकालीन दस्तावेज़ और सूचनाएँ सरकार। ऐसा नहीं है कि प्राप्तियों का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है [2021] 13 एस. सी. आर.

नकली थे या किसी गणना किए गए उपकरण का हिस्सा थे। तथ्य यह है कि

ये राशियाँ वास्तव में स्रोतों से प्राप्त की गई थीं इसलिए

नाम विवाद में नहीं है। इसके अलावा, ये राशियाँ हैं -

द्वारा दाखिल आयकर विवरणी में अच्छी तरह से परिलक्षित होता है

अपीलार्थी।

13. समान परिस्थितियों में, अधिग्रहण में प्रतिबिंबित किया जा रहा है

आयकर विवरणी को राहत देने में इस न्यायालय के साथ वजन किया गया

लोक सेवक। एम. कृष्णा रेड्डी बनाम। राज्य [एम. कृष्णा

पैरा 14 में देखा गया: (एस. सी. सी पी. 49)
" 14. ..... इसलिए, इन अनुपलब्ध दस्तावेजों के सामने

अर्थात् धन कर और आयकर विवरणी, हम मानते हैं कि अपीलार्थी

से 56,240 रुपये की कटौती का हकदार है

रु. 2,37,842 "की आय से अधिक संपत्ति।

[.....]

15. यदि विचाराधीन राशियाँ, जिन्हें विधिवत सूचित किया गया था और हैं

आयकर विवरणी में परिलक्षित होने पर इस प्रकार कटौती की जाती है, कथित

आय से कम संपत्ति घटकर 37,605 रुपये रह गई है।

अपीलार्थी की आय का 10 प्रतिशत से अधिक। कृष्णानंद बनाम। राज्य एम. पी. [(1977) 1 एस. सी. सी. 816: 1977 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 190] और एम.

कृष्णा रेड्डी [एम. कृष्णा रेड्डी बनाम। राज्य (1992) 4 एस. सी. सी. 45:

1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 801], इस न्यायालय ने जनता को लाभ प्रदान किया था।

समान परिस्थितियों में नौकर। हम सम्मानपूर्वक उक्त का पालन करते हैं

निर्णय "।

(जोर दिया गया)

45. इसके अलावा, उत्तरदाताओं ने पाँच दुर्बलताओं की ओर भी इशारा किया है।

एफ. आई. आर. में, जिनमें से पहले चार इस निर्णय के पैराग्राफ 10 (ix) (बी) में पुनः प्रस्तुत तालिका पर आधारित हैं, जिसमें कहा गया है कि चेक अवधि में एफ. आई. आर. के अनुसार उत्तरदाताओं की असमान संपत्ति का मूल्य 1,10,81,692 रुपये था। सबसे पहले, यह बताया गया है कि एफ. आई. आर. के कथन-बी के क्रम संख्या 6 और 7 में, पहले उत्तरदाताओं का मूल्य ' निर्मित घर रुपये 5,15,50,000 है, जबकि इसका वास्तविक मूल्य (उत्तरदाताओं द्वारा उनके आयकर रिटर्न में किए गए खुलासे के अनुसार) रुपये 4,29,71,800 है। यह तर्क दिया गया है कि प्रथम द्वारा प्रस्तुत 14 मार्च 2016 के पत्र पर भरोसा करके, प्राथमिकी में मूल्य गलत है।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (सी. सी. ए.), चेन्नई को प्रतिवादी जहां उन्होंने उन्हें अपने घर सी. बी. आई. बनाम के निर्माण के बारे में सूचित किया है।

टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

और एक मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न की। इस रिपोर्ट के अनुसार, घर की कुल कीमत 4,14,21,800 रुपये थी। इसमें, रुपये 15,50,000 की राशि को जोड़कर रुपये 4,29,71,800 के अंतिम मूल्य तक पहुँचाया गया है, जो कि प्राथमिकी में उल्लिखित मूल्य से कम है। इसके अलावा, जबकि अपीलार्थी ने 2018 में सी. पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा किए गए मूल्यांकन (जिसमें घर का मूल्य 300 रुपये था) के आधार पर एफ. आई. आर. में मूल्यांकन का बचाव किया है, उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि सी. पी. डब्ल्यू. डी. मूल्यांकन एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद किया गया है और इसका उपयोग उसमें दिए गए आंकड़ों का बचाव करने के लिए नहीं किया जा सकता है। दूसरा, यह तर्क दिया गया है कि एफ. आई. आर. के विवरण-बी के क्रम संख्या 31 में दर्ज किया गया है कि प्रत्यर्थियों के पास 10 लाख रुपये की संपत्ति है, जो संपत्ति में उल्लिखित घर के अंदर एक लिफ्ट है। इसके खिलाफ तर्क

उत्तरदाताओं की आय उसी बैंगलोर संपत्ति की बिक्री से प्राप्त होती है। इसलिए, यह आग्रह किया जाता है कि प्राथमिकी में एक आंतरिक विरोधाभास है जहां बैंगलोर की संपत्ति को रखा गया है उत्तरदाताओं की संपत्ति के रूप में दोनों के लिए लेखांकन किया गया और साथ ही इसकी बिक्री के माध्यम से आय के लिए भी लेखांकन किया गया। इसके अलावा, आय के संबंध में, यह तर्क दिया गया है कि उत्तरदाताओं के आयकर रिटर्न से पता चलता है कि उन्हें बैंगलोर की संपत्ति की बिक्री से 1 करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन इसमें मनमाने ढंग से 1 करोड़ रुपये की कमी की गई है। अपने प्रत्युत्तर में, अपीलार्थी ने

बैंगलोर की संपत्ति के अधिग्रहण को इस आधार पर चुनौती देकर कि कोई वैध स्वामित्व नहीं था, और कथित बिक्री और लेनदेन के चरित्र के बारे में गंभीर संदेह रखते हुए इन दोनों को उचित ठहराया है। उत्तरदाताओं के अनुसार, एफ. आई. आर. में अनुपातहीन परिसंपत्तियों का मूल्य रुपये 8,00,000 और रुपये 27,50,000 कम हो जाएगा, जिससे चेक अवधि के दौरान उत्तरदाताओं की आय रुपये 20,46,508 से अधिक हो जाएगी। अंत में, यह भी तर्क दिया गया कि प्राथमिकी केवल [2021] 13 एस. सी. आर. दर्ज की गई है।

और मुकदमे के चरण में साबित होना पड़ता है। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि इन दस्तावेजों के आधार पर की गई दलीलों को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अपीलार्थी ने जे. जयललीता (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आयकर विवरणी जैसे दस्तावेजों पर इस प्रकार भरोसा नहीं किया जा सकता है: यह दिखाने के लिए निर्णायक प्रमाण कि आय पी. सी. अधिनियम के तहत एक वैध स्रोत से है। न्यायमूर्ति पी. सी. घोष ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 191. यद्यपि साक्षय की धारा 43 के आसपास केंद्रित तर्कों के दौरान काफी आदान-प्रदान किए गए थे।

अधिनियम, 1872, हम इस बात को समझते हैं कि उन्हें विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यह मानते हुए भी कि आयकर रिटर्न, संबंधित कार्यवाही इसके साथ और उसमें दिए गए निर्णय प्रासंगिक हैं।

और सबूत में भी स्वीकार्य, ऐसा कुछ नहीं, बदल जाता है

उस पर निश्चित रूप से क्योंकि वे कोई गारंटी नहीं देते हैं

या स्रोत (ओं) की वैधता का प्रमाणीकरण

आय, के विरुद्ध लगाए गए आरोप का शीर्ष

उत्तरदाताओं। यह बचाव पक्ष की दलील है कि आयकर अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा साबित किए गए विवरणी और आदेशों पर अभियोजन पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी और इसके अलावा उसने (अभियोजन पक्ष) आयकर विवरणी/आदेशों को भी साक्षय के रूप में प्रस्तुत किया था और इस प्रकार, वह बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की स्वीकार्यता पर आपत्ति नहीं कर सकता है। दोहराने के लिए, भले ही ऐसे रिटर्न और ऑर्डर

स्वीकार्य हैं, संभावित मूल्य इस पर निर्भर करेगा

प्रस्तुत जानकारी की प्रकृति, दर्ज किए गए निष्कर्ष

आदेशों में और लगाए गए शुल्क पर असर डालना। हालाँकि, मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, इस तरह के विवरणी और आदेश न तो निर्णायक रूप से साबित होंगे और न ही सीबीआई बनाम को गलत साबित करेंगे।

टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आरोप और सबसे अच्छा सबूत के टुकड़े हो सकते हैं जिनका रिकॉर्ड पर अन्य सामग्रियों के साथ मूल्यांकन किया जाना है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हाथ में लिए गए मामले में किसी भी प्रतिवादी से पूछताछ नहीं की गई है। इसके अलावा, आयकर रिटर्न पर बचाव पक्ष के साथ-साथ कानून में पारित आदेशों पर भी भरोसा किया जाता है। आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद उससे संबंधित कार्यवाहियां दायर/पारित की गई हैं। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ साजिश और उकसाने का आरोप है। इसलिए समग्र परिप्रेक्षय में न तो आयकर

विवरणी और न ही उससे संबंधित कार्यवाहियों में पारित आदेश, या तो निश्चित रूप से अभियुक्त व्यक्तियों की आय के स्रोतों की वैधता की पुष्टि करते हैं या संतोषजनक रूप से लेखा देने के लिए उनके लिए कोई लाभप्रद हैं

भारत संघ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए 1988 के अधिनियम के तहत आर-2 से आर-5 पर मुकदमा चलाने के लिए उचित कार्रवाई करेगा और प्राधिकरण। उत्तरदाता उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके रिश्तेदार थे। यह ध्यान में रखते हुए कि मूल मुद्दा कथित निवेश और ऐसे स्रोतों के संबंध में था

निवेश, उत्तरदाताओं 2 से 5 को इस न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था

संबंधित निर्धारण वर्षों के आयकर और धन कर विवरणी की प्रतियां दाखिल करें जो की गई थीं। याचिकाकर्ता की ओर से यह बताया गया था कि आधिकारिक मूल्यांकनकर्ता द्वारा की गई गणना के अनुसार, परिवार की शुद्ध संपत्ति हालांकि 1,000 रुपये थी, लेकिन तब शुद्ध संपत्ति का मूल्य 24 करोड़ रुपये था। प्रत्यर्थियों की ओर से यह अनुरोध किया गया था कि आयकर रिटर्न पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं और मामले संबंधित अधिकारियों के समक्ष लंबित हैं और सभी भुगतान चेक द्वारा किए गए थे।

और इस प्रकार उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार थे। यह देखा गया कि पक्षों द्वारा प्रस्तुत विवरणों की सूक्ष्मता और आयकर रिटर्न और मूल्यांकन [2021] 13 एस. सी. आर.

आदेश, बिक्री विलेख आदि सावधानीपूर्वक होना आवश्यक था।

केवल एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा देखा और विश्लेषण किया गया

सनदी लेखाकारों और अन्य लोगों की सहायता से

मान्यता प्राप्त इंजीनियर और संपत्ति के मूल्यांकनकर्ता। यह था।

यह पाया गया कि आयकर विभाग चिंतित था

केवल आय के स्रोत के साथ और क्या कर था

भुगतान किया गया या नहीं और इसलिए, केवल एक स्वतंत्र एजेंसी या

अदालत के निर्देश पर सी. बी. आई. इस प्रश्न का निर्धारण कर सकती है कि

असमान संपत्ति। इस प्रकार सी. बी. आई. को निर्देश दिया गया कि वह

सभी उत्तरदाताओं की परिसंपत्तियों की प्रारंभिक जांच और

जाँच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई करें कि क्या

मामला बनाया गया था या नहीं।

201. यह निर्णय आय जमा करने पर जोर देने के लिए लिया गया है।

कर विवरणी और उस पर पारित मूल्यांकन आदेश,

एक आरोप के खिलाफ एक पूर्ण प्रतिरक्षा का गठन नहीं करेगा

ज्ञात विधिसम्मत के अनुपात से अधिक परिसंपत्तियों का अधिग्रहण पी. सी. अधिनियम के तहत आय के स्रोत और

कि आगे की जांच/विश्लेषण अनिवार्य है

यह निर्धारित करना कि क्या अपराध के रूप में विचार किया गया है

पी. सी. अधिनियम बनाया गया है या नहीं "।

(जोर दिया गया)

47. की कथित दुर्बलताओं पर तर्कों के संबंध में

एफ. आई. आर., उत्तरदाताओं की दलीलों का खंडन किया गया है

अपीलकर्ताओं ने आग्रह किया कि: (i) उत्तरदाताओं का पहला प्रस्तुतिकरण पूरी तरह से 14 मार्च 2016 के उस पत्र पर आधारित है जो प्रथम उत्तरदाता द्वारा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (सी. सी. ए.), चेन्नई को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें एक मूल्यांकन रिपोर्ट शामिल है। इस रिपोर्ट में निर्धारित मूल्य पर इस स्तर पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, खासकर जब सीपीडब्ल्यूडी रिपोर्ट में घर का मूल्य बहुत अधिक माना गया है; (ii) तीसरी और चौथी प्रस्तुतियों के संबंध में, यह तर्क दिया गया है कि बैंगलोर की संपत्ति को एक संपत्ति के रूप में शामिल करने के साथ-साथ इसकी बिक्री से प्राप्त धन को आय के रूप में शामिल करना उचित है क्योंकि बिक्री पर ही अपीलकर्ता द्वारा विवाद किया जा रहा है। इसलिए, बिक्री के दस्तावेजों की सत्यता कुछ ऐसी है जिसे केवल मुकदमे के चरण में ही निर्धारित किया जा सकता है; और (iii) अंतिम प्रस्तुतिकरण के संबंध में, यह तर्क दिया गया था कि "स्रोत जानकारी" को जन्म देने वाले दस्तावेजों को अपीलार्थी द्वारा जांच किए जा रहे एक अन्य मामले के दौरान जब्त कर लिया गया था, जहां पहला प्रतिवादी लाभ लेने के आरोपी आयकर विभाग के आठ अधिकारियों में से एक था (जैसे सीबीआई बनाम।

टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

होटल में रहने के रूप में) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स से। इन दस्तावेजों को पहले के आवासों पर की गई चार छापों के दौरान जब्त किया गया था।

और (ii) किसी भी मामले में, केदारी लाल (उपरोक्त) में निर्णय दिया गया था। पी. सी. अधिनियम के तहत दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली आपराधिक अपील पर विचार करते हुए, जबकि वर्तमान मामला एक एफ. आई. आर. को रद्द करने के चरण में है।

49. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता उत्तरदाताओं की आय के "स्रोत" और परिसंपत्तियों पर सवाल उठाने को चुनौती दे रहा है।

इस तरह की आय के आधार पर उनके द्वारा अर्जित। इसलिए, एक एफ. आई. आर. को रद्द करने के चरण में जहां अदालत को केवल यह पता लगाना है कि क्या एफ. आई. आर. प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध का कारण बनती है, तो एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर भरोसा किया जाएगा।

कानून के मूल सिद्धांतों के विपरीत। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त करने के प्रयास में वस्तुतः मुकदमा चलाकर अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे से बहुत आगे निकल गया है। अपनी दलीलों के दौरान, सुश्री भाटी, विद्वान एएसजी ने जांच अधिकारी के निर्देश पर कहा है कि जांच के दौरान लगभग 140 गवाहों से पूछताछ की गई है और 500 से अधिक दस्तावेज प्राप्त किए गए हैं।

जांच एक उन्नत चरण में बताई गई है और दो से तीन महीने की अवधि के भीतर समाप्त होने की संभावना है। साथ ही, जाँच अधिकारी के निर्देश पर ए. एस. जी. द्वारा अदालत को आश्वासन दिया गया है कि जाँच समाप्त करने से पहले, पहले और दूसरे उत्तरदाताओं को बुलाया जाएगा ताकि वे इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दे सकें। एफ. आई. आर. में निर्दिष्ट आय से अधिक परिसंपत्तियों के प्रमुख।

50 उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए अन्य तर्कों के संबंध में

एफ. आई. आर. में दुर्बलताओं को इंगित करते हुए, इस स्तर पर उन पर निर्णय लेने से मुकदमे में साक्षय संबंधी सबूतों में कमी आएगी। यह वह गलती है जो तेलंगाना उच्च न्यायालय ने की थी, जिसे यह न्यायालय दोहराने से मुकर जाएगा। प्रत्यर्थियों द्वारा इंगित एकमात्र दुर्बलता जिसे अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है, वह लिफ्ट के मूल्य को अलग से जोड़ने के संबंध में है जब पूरे घर का पहले ही मूल्यांकन किया जा चुका था। हालांकि,

अपने आप में, इसका मूल्य केवल 10 लाख रुपये होने के कारण, यह उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले के पूरे आधार को छीनने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उत्तरदाताओं। इसलिए, इस स्तर पर, हम प्रत्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द नहीं कर सकते हैं और यह मान सकते हैं कि इसके अनुसार अपीलार्थी की जांच जारी रहेगी।

एफ निष्कर्ष

51. अलग होने से पहले, हम यह भी ध्यान देते हैं कि उत्तरदाताओं द्वारा हमारे सामने व्यापक तर्क उठाए गए थे कि क्या

अपीलार्थी प्रत्यर्थियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर सकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य ने 8 नवंबर 2018 के एक आदेश के माध्यम से डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 6 के तहत अपीलार्थी को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। अपीलार्थी द्वारा इसका प्रतिवाद करते हुए कहा गया है: (i) कि एफ. आई. आर. चेन्नई में दर्ज की गई है, और डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 6 के तहत तमिलनाडु राज्य की सामान्य सहमति अभी भी बनी हुई है; (ii) कि पहला प्रतिवादी केंद्र सरकार का कर्मचारी है; और (iii) कि दूसरे प्रतिवादी पर आई. पी. सी. की धारा 109 के तहत उकसाने वाला होने का आरोप है। इसी तरह, तेलंगाना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा भी तर्क दिए गए हैं और क्या दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती थी।

अध्यक्ष की सहमति के बिना प्रतिवादी (क्योंकि वह एक बैठक है) विधायक)। हालाँकि, इस स्तर पर, हमें नहीं लगता कि हमारे लिए उन पर निर्णय लेना आवश्यक है और हम इन मुद्दों को खुले छोड़ रहे हैं।

उनके गुणों पर टिप्पणी करें।

सीबीआई बनाम। टी. एच. विजयलक्ष्मी

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

52. इसलिए, अंत में, हमने तेलंगाना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 11 फरवरी 2020 के विवादित निर्णय को रद्द कर दिया।

एफ. आई. आर. और उसके अनुसरण में किसी भी कार्यवाही को रद्द करना। अपीलार्थी एफ. आई. आर. के आधार पर अपनी जाँच जारी रखता है।

53. अपील की अनुमति दी जाती है और तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के एस. आई. न्यायाधीश के विवादित फैसले को खारिज कर दिया जाता है।

54. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

अपील

एलो

दिव्या पांडे